Mohanlal Sukhadia University

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, 313001

NAAC-SSR (Assessment Year: 2017-22)

Criterion- 5

Student Support and Progression

Key Indicator 5.1:

Student Support

Metric 5.1.4:

Redressal of student grievances including sexual harassment and ragging cases by the institution

Related Proofs

Anti-Ragging rules: https://www.mlsu.ac.in/upload/Disicpline%20Rules.pdf

Student grievance portal: https://www.mlsu.ac.in/support/

Different cells and centres: https://www.mlsu.ac.in/Cells-and-Centres

6. सामान्य अनुशासन नियम (General Discipline Rules)

1. मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के सामान्य अनुशासन के नियम विश्वविद्यालय तथा इसके सभी संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालय के विद्यार्थियों पर लागू होंगे।

2. **परिभाषाएँ :** सामान्य अनुशासन विद्यार्थियों द्वारा अच्छे व्यवहार की अनुपालना है। अनुशासनहीनता में निम्नलिखित व्यवहार सम्मिलित हैं –

(क) उपस्थिति में लगातार अनियमितता, सामूहिक रूप से कक्षाएँ छोड़ना और प्रदत्त कार्य में लापरवाही करना।

(ख) कक्षा-कक्ष, कार्यालय, पुस्तकालय, छात्रावास, खेलकूद के मैदान, महाविद्यालय परिसर, विश्वविद्यालय प्रशासनिक कार्यालय और विश्वविद्यालय परिसर में अशांति उत्पन्न करना या बाधा डालना या उपद्रव करना।

(ग) विश्वविद्यालय के तत्कालीन प्रभारी के नियमानुसार आदेशों, नियमों की अवज्ञा करना तथा उन्हें चुनौती देना।

(घ) सभी प्रकार की जाँच परीक्षाओं, परीक्षा-कार्यों, पाठ्यक्रम सम्बन्धी तथा सह-पाठ्यक्रम सम्बन्धित कृत्यों, विद्यार्थी संघों से सम्बन्धित विश्वविद्यालय के चुनावों इत्यादि में दुराचरण, दुर्व्यवहार या अनुचित साधनों का उपयोग करना।

(ङ) विश्वविद्यालय, महाविद्यालय/संस्थान के शैक्षणिक, शैक्षणेतर कर्मचारियों अथवा विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/संस्थान के वैधानिक घटकों के किसी सदस्य अथवा किसी सहपाठी के प्रति दुर्व्यवहार या दुराचरण करना।

(च) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान की सम्पत्ति (जिसमें पुस्तकालय की पुस्तकें तथा सामयिक पत्रिकाएँ भी सम्मिलित हैं) को किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचाना अथवा उन पर कुचित्र अंकित करना, अपशब्द लिखना अथवा उनका कोई अन्य दुरुपयोग करना।

(छ) भ्रामक प्रचार या अफवाहें फैलाना/भड़काना या उकसाना।

(ज) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय प्रांगण या परिसर में नशीला पेय या मादक पदार्थ/सामग्री का उपयोग करना।

(झ) मांगने पर परिचय पत्र प्रस्तुत करने से इंकार करना।

(ञ) अध्ययन काल में परिसर या परिसर के बाहर अपराध या किसी प्रकार के आपराधिक/ दण्डनीय कृत्यों में लिप्त होना।

उपर्युक्त मद 2 (ख) में उल्लेखित विश्वविद्यालय स्थानों में अपने पास अस्त्र-शस्त्र रखना।

(थ) किसी अवसर पर छद्म व्यक्तिता (Impersonation)

(द) उपर्युक्त कृत्यों में से किसी के भी संबंध में अन्य व्यक्ति को उत्तेजित करना/उकसाना।

नोट : परीक्षाओं तथा छात्रावासों से संबंधित अनुशासनहीनता के संबंध में अनुशासन सम्बन्धी सामान्य नियमों के साथ छात्रावासों/ परीक्षाओं में अनुचित साधनों तथा अव्यवस्थित व्यवहार के मामले के लिए निर्धारित नियम लागू होंगे।

3. **अनुशासन पर्यवेक्षण (Supervision of Discipline)**

अनुशासन विभिन्न स्तरों पर पर्यवेक्षित किया जाएगा और इस सम्बन्ध में उत्तरदायित्व निम्नलिखित द्वारा सहभाजित किया जाएगा –

(अ) अधिष्ठाता (आ) परीक्षा केन्द्राधीक्षक (इ) चीफ प्रोक्टर (ई) केन्द्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष

(उ) महाविद्यालय सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष/सहायक छात्र कल्याण अधिष्ठाता/सहायक कुल सचिव/प्रॉक्टर

(ऊ) विभागों के अध्यक्ष (ए) छात्रावास वार्डन तथा प्रमुख वार्डन

(ऐ) शारीरिक शिक्षा निदेशक, खेल प्रशिक्षक एवं शैक्षणिक यात्रा प्रशिक्षण प्रभारी।

4. **प्रॉक्टोरियल बोर्ड (Proctorial Board)**

(क) विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए कुलपति द्वारा एक प्रॉक्टोरियल बोर्ड का गठन किया जाएगा। विश्वविद्यालय एवं इसके शिक्षार्थियों से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिसर अथवा उसके बाहर होने वाले अनुशासन सम्बन्धित सभी प्रकरण/मामले इस प्रॉक्टोरियल बोर्ड के क्षेत्राधिकार में निहित होंगे। इसमें विश्वविद्यालय के केन्द्रीय कार्यालय, सम्बन्धित महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय पुस्तकालय, खेल के मैदान, छात्रावास आदि सम्मिलित हैं।

(ख) प्रॉक्टोरियल बोर्ड निम्नलिखित प्रकार से गठित होगा –

1. मुख्य प्रॉक्टर (अध्यक्ष)
2. सभी संघटक महाविद्यालय के प्रॉक्टर
3. सम्बन्धित महाविद्यालय के अधिष्ठाता द्वारा मनोनीत सदस्य

(ग) प्रॉक्टोरियल बोर्ड के कार्य निम्नलिखित होंगे –

1. विश्वविद्यालय से संबंधित सभी अनुशासन प्रकरणों में कुलपति को परामर्श और सहायता देना।
2. विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाए रखना।
3. विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए स्थानीय नागरिक प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों से सम्पर्क रखना।
4. विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता के प्रकरणों पर कार्रवाई करना।
5. ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना जिनमें अनुशासनहीनता के प्रकरणों पर रोक लगे।
6. अनुशासनहीनता के प्रकरणों में आपराधिक एवं अन्य पुलिस मामलों के अभियोजन के लिए विश्वविद्यालय अधिकारियों की सहायता करना।

5. अधिकारों के प्रयोग हेतु क्रियाविधि (Procedure for Exercise of Powers)

(क) कुलपति एवं संस्थाध्यक्षों के अतिरिक्त समस्त प्राधिकारी अनुशासनहीनता के मामलों में संक्षिप्त प्रक्रिया के पश्चात् अपने में निहित शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। कुलपति एवं संस्थाध्यक्ष किसी भी मामले में अपने में निहित शक्तियों का प्रयोग मामले पर संक्षिप्त विचार के बाद या आवश्यक समझें तो अनुशासन समिति की सहायता से कर सकते हैं।

(ख) अनुशासन समिति का गठन :

(i) **विश्वविद्यालय स्तर (University Level) :** कुलपति द्वारा मनोनीत विश्वविद्यालय स्तरीय अनुशासन समिति का गठन निम्न प्रकार होगा –

(अ)	अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/वरिष्ठ संकाय सदस्य (कोई एक)	(अध्यक्ष)
(ब)	छात्र कल्याण अधिष्ठाता	(सदस्य)
(स)	विश्वविद्यालय के शिक्षकों में कोई दो	(सदस्य)
(द)	चीफ प्रॉक्टर	(सदस्य सचिव)

(ii) **संस्था/महाविद्यालय स्तर (Institution/College Level) :** अधिष्ठाता द्वारा मनोनीत अनुशासन समिति का गठन निम्न प्रकार होगा –

(अ)	अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/वरिष्ठ संकाय सदस्य (कोई एक)	(अध्यक्ष)
(ब)	सहायक छात्र कल्याण अधिष्ठाता	(सदस्य)
(स)	महाविद्यालय के दो संकाय सदस्य	(सदस्य)
(द)	प्रॉक्टर	(सदस्य सचिव)

6. अनुशासन समिति द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया (Procedure to be followed by Discipline Committee)

(1) समिति अनुशासनहीनता के ऐसे प्रकरण की जाँच करेगी जो कुलपति/संस्थाध्यक्ष द्वारा उसे निर्देशित किया जाए।

(2) जब कोई विद्यार्थी गंभीर आपराधिक कार्य, गंभीर दुराचरण, कार्य की अनवरत लापरवाही अथवा दुर्व्यवहार का आरोपी/दोषी हो अथवा विश्वविद्यालय/संस्थान के कार्यविधि एवं कर्तव्य पालन के समय में दुर्व्यवहार आदि के कारण किसी विद्यार्थी के विरुद्ध विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी/शिक्षक/कर्मचारी ने पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराई हो तो उसे कुलपति/महाविद्यालय के अधिष्ठाता/विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों के अध्यक्ष, जहाँ विद्यार्थी अध्ययनरत हो, तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर देंगे। निलम्बन काल में विद्यार्थी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की किसी भी गतिविधियों में (परीक्षा में बैठने सहित) भाग लेने तथा अपनी कक्षाओं में उपस्थित होने के अयोग्य होगा। जब विद्यार्थी छात्रावास से भी निलम्बित हो तथा जांच काल में हो तो वार्डन अथवा प्रमुख वार्डन ऐसे विद्यार्थी को छात्रावास से भी निलम्बित कर सकते हैं। यदि पुलिस के द्वारा किसी न्यायालय में विद्यार्थी के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज कर दिया गया हो तो उसे तत्काल निलम्बित कर दिया जाएगा।

(3) कोई विद्यार्थी जो इस प्रकार निलम्बित किया गया हो अथवा जिसे निकाल दिया गया हो विश्वविद्यालय के किसी महाविद्यालय/अन्य शिक्षण इकाई में, बिना उस अधिकारी की अनुमति के जिसने उसे निलम्बित किया/निकाला था, प्रवेश के लिए अयोग्य होगा।

(4) जाँच समिति के बारे में संबंधित विद्यार्थी को सूचना दी जाएगी तथा उसे अपने पक्ष को समिति के सामने प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान किया जाएगा।

(5) जाँच समिति के बारे में संबंधित विद्यार्थी की सभी सूचनाएँ महाविद्यालय के पते पर तथा उसके घर के पते अथवा प्रवेश आवेदन-पत्र में दिए पते पर भेजी जाएगी।

(6) यदि सम्बन्धित विद्यार्थी जाँच कार्य में अनुपस्थित रहता है अथवा असहयोग करता है अथवा अवरोध प्रस्तुत करता है तो समुचित सूचना देने के बाद जाँच एक पक्षीय पूरी की जा सकती है।

(7) जाँच के किसी भी चरण में किसी भी पक्षकार की तरफ से किसी अधिवक्ता को उपस्थित करने की अनुमति नहीं होगी।

(8) अनुशासन समिति अपनी बैठक करके उचित विचार-विमर्श के बाद समुचित दण्ड, जिसमें जुर्माना, निश्चित अवधि के लिए निष्कासन अथवा इन दोनों की अनुशंसा करेगी। दण्ड की क्रियान्विति निलम्बित करने वाले अधिकारी द्वारा की जाएगी।

(9) अनुशासन समिति के प्रतिवेदन पर कुलपति/संस्थाध्यक्ष द्वारा विचार किया जाएगा और उचित विचार के बाद वह इस पर जैसा उचित समझे वैसा आदेश प्रदान करेंगे। उस आदेश की एक प्रति विद्यार्थी को दी जाएगी तथा उसकी अन्य प्रति महाविद्यालय के सूचना-पट्ट पर लगा दी जाएगी।

7. अपील का अधिकार (Right to Appeal)

(1) विद्यार्थी को संकाय सदस्य द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध पाँच दिनों के अन्दर-अन्दर संस्थाध्यक्ष से अपील करने का अधिकार होगा।

(2) विद्यार्थी को संस्थाध्यक्ष द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध कुलपति से एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के मामलों में निदेशक महाविद्यालय शिक्षा राजस्थान से अपील करने का अधिकार होगा। ऐसी अपील आदेश निर्गमन की तिथि के 15 दिन के अन्दर-अन्दर अवश्य कर देनी चाहिए।

टिप्पणियाँ :

(अ) किसी भी विद्यार्थी को जिसे निलम्बित या निष्कासित या अस्थायी रूप से निकाला गया है, किसी अन्य महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय की अन्य शिक्षण इकाई में बिना उस अधिकारी की, जिसने उसे निलम्बित निष्कासित या अस्थायी रूप से निकाला था, पूर्वानुमति के प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा और न ही कोई ऐसा विद्यार्थी जिसे अस्थायी रूप से निकाला गया है, इस निष्कासन अवधि में किसी अन्य महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकेगा। दण्ड देने वाला अधिकारी ऐसे दण्ड आदेशों को अन्य महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय को सूचित तथा आवश्यक कार्यवाई हेतु संप्रेषित करेगा।

(आ) निष्कासन एवं रेस्टीकेशन के सभी मामले प्रबन्ध बोर्ड को प्रतिवेदित किए जाएँगे।

(इ) ऐसा कोई भी मामला जो अनुशासन से संबंधित हो और उपर्युक्त नियमों के अन्तर्गत नहीं आता हो,उसे जब कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, संस्थाध्यक्ष निपटाएगा। ऐसे मामलों पर लिए गए निर्णय कुलपति द्वारा पुनर्विचार योग्य होंगे।

(ई) संस्थाध्यक्ष दिए जाने वाले दण्ड का आलेख करेंगे और निष्कासन और रेस्टीकेशन या अन्य किसी कठोर दण्ड की दशा में विद्यार्थी के चरित्र प्रमाण-पत्र में इसका समुचित उल्लेख करेंगे।

(उ) अनुशासनहीनता के लिए लगाया गया दण्ड बकाया शुल्क के रूप में वसूल किया जाएगा। चूक होने पर उपस्थित पंजिका से विद्यार्थी का नाम काट दिया जाएगा।

8. अपील का निस्तारण (Disposal of Appeal)

(1) संस्थाध्यक्ष स्वयं या उपर्युक्त संख्या 6 के अन्तर्गत गठित समिति की सहायता से अपील का निस्तारण कर सकेंगे।

(2) कुलपति स्वयं या उनके द्वारा गठित समिति की सहायता से अपील का निस्तारण कर सकेंगे।

(3) अपील पर विचार किया जाकर उसका समुचित समयावधि में निस्तारण किया जाएगा। कुलपति या समिति द्वारा जैसी भी दशा हो, अपीलकर्ता छात्र को चाहने पर उसे व्यक्तिगत रूप से अपनी बात कहने का एक अवसर दिया जा सकेगा और कुलपति अपील पर विचार करने और यदि जाँच समिति गठित की गई हो तो इस समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद मामले का पुनः निरीक्षण कर सकेंगे तथा उचित विचार के बाद दण्ड पर सहमति अथवा इसमें वृद्धि अथवा कमी कर सकेंगे अथवा विद्यार्थी को निर्दोष घोषित कर सकेंगे अथवा जैसा उचित समझे आदेश जारी करेंगे जो अन्तिम होगा।

7. रैगिंग विरोधी नियम एवं दण्ड के प्रावधान
(Anti-Ragging Rules and Provisions for Punishment)

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के किसी भी महाविद्यालय, पुस्तकालय, खेल के मैदान, छात्रावास, प्रयोगशाला अथवा परिसरों में ''रैगिंग'' लेना कानूनी रूप से दण्डनीय अपराध है। उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार छः माह का कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये अर्थदण्ड अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

रैगिंग का अर्थ :

किसी विद्यार्थी को अन्य विद्यार्थी अथवा विद्यार्थियों के समूह द्वारा पीड़न, उत्पीड़न या भयाक्रांत करना, मानसिक एवं शारीरिक वेदना पहुँचाना, निर्दयता का व्यवहार करना, मानवाधिकार के अन्तर्गत प्राप्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं गरिमा के अधिकार को क्षति पहुँचाना अथवा उनका हनन या उल्लंघन करना, कामुक-अश्लील हरकतें करने को बाध्य करना अथवा न करने पर शारीरिक-मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, ऐसा कायिक एवं वाचिक व्यवहार करना जिसके कारण कोई असुरक्षित, असहाय, शोषित एवं पीड़ित अनुभव करे, संस्थान की सम्पत्ति एवं सुविधाओं को क्षति पहुँचाना, अभद्र भाषा एवं अपशब्दों का प्रयोग करना, किसी की महत्वाकांक्षा, लक्ष्य अथवा प्रशिक्षण में बाधा पहुँचाना अथवा ऐसा अवरोध पैदा करना कि इनकी पूर्ति में कठिनाइयाँ बढ़ जाए, संस्थान द्वारा स्वीकृत अनुशासन के मापदण्डों के विरुद्ध व्यवहार करना रैगिंग के अन्तर्गत माना गया है।

नोट : परिचय पार्टी में किए जाने वाले मनोविनोद अथवा हंसी मजाक ''रैगिंग'' में सम्मिलित नहीं है।

रैगिंग निरोधी प्रबन्धन

(1) विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर रैगिंग निरोधी दस्तों का गठन किया गया है एवं उनके द्वारा परिसरों का निरीक्षण किया जाता है।

(2) रैगिंग विरोधी अधिकारियों के नाम, पद, दूरभाष नं. आदि का प्रकाशन सूचना पुस्तिका में प्रदत्त है। रैगिंग की स्थिति में पीड़ित छात्र/छात्रों द्वारा शीघ्र सम्पर्क किया जाना चहिए।

(3) नव प्रविष्ट विद्यार्थी को मित्र-समूह के साथ रहने की सलाह दी जाती है। वे अनावश्यक धनराशि साथ न लाएँ।

(4) रैगिंग विरोधी पोस्टर, संदेश अथवा सूचना पत्रों को ध्यान से पढ़ें एवं उनमें दिए गए सुझावों पर अमल करें।

(5) विश्वविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी अथवा किसी परिचित वरिष्ठ साथी को नव-प्रविष्ट विद्यार्थी द्वारा प्रवेश के प्रारम्भिक दिनों का विवरण प्रतिदिन बताना चाहिए।

दण्ड के प्रावधान

रैगिंग की सूचना प्राप्त होने एवं प्रक्रिया द्वारा उसके सिद्ध/प्रमाणित होने पर निम्न दण्ड (रैगिंग की गंभीरता के अनुसार) दिए जा सकते हैं :-

(1) महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के माध्यम से देय सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों अथवा सुविधाओं पर प्रतिबंध। इसे दोषी छात्र के अभिभावकों को सूचित करना।

(2) विश्वविद्यालय में दिए गए प्रवेश को निरस्त करना।

(3) रैगिंग निरोधी समिति द्वारा विशेष अवधि तक कक्षा में प्रवेश को निषिद्ध करना।

(4) छात्रावास में दिए गए प्रवेश को निरस्त करना।

(5) रैगिंग की गंभीरता के अनुसार अन्य शैक्षणिक संस्थानों में दिए जाने वाले प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना।

(6) ''आपराधिक रैगिंग'' में पुलिस में प्रकरण दर्ज करवाना।

(7) रैगिंग के दोषी विद्यार्थी के चरित्र प्रमाण पत्र, स्थानान्तरण पत्र एवं डिग्री में इस तथ्य का उल्लेख करना कि 'अमुक डिग्रीधारी रैगिंग लेने का दोषी है।'

(8) रैगिंग लेने वाले विद्यार्थी के नाम एवं पते के साथ दी गई सजा को समाचार पत्र में प्रकाशित करना।

(9) जिला एवं पुलिस प्रशासन को रैगिंग के दोषी विद्यार्थी की सूची देना एवं पुनरावृत्ति न करने को पाबन्द करवाना।

(10) रैगिंग में व्यक्ति विशेष के दोषी न होने पर रैगिंग लेने वाले पूरे समूह को उपर्युक्त किसी भी दण्ड का पात्र माना जाकर सभी को दण्डित किया जा सकता है।

(11) यदि किसी अखबार/समाचार पत्रिका में रैगिंग लेने वाले विद्यार्थी का नाम महाविद्यालय के नाम के साथ प्रकाशित होता है तो इसे भी ''रैगिंग योग्य केस'' मानकर उल्लेखित विद्यार्थी को दण्डित किया जा सकता है। पीड़ित विद्यार्थी द्वारा ''रैगिंग निरोधी दस्ते'' को लिखित सूचना देना अनिवार्य नहीं है।

(12) रैगिंग की अधिकतम सजा छः माह का कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये का आर्थिक दण्ड अथवा दोनों सजाएँ साथ-साथ दी जा सकती हैं।

(13) रैगिंग लेना अथवा रैगिंग लेने को उकसाना समान रूप से दण्डनीय है।

(14) प्रवेश के प्रारम्भिक दिनों में सक्षम अधिकारियों द्वारा रैगिंग योग्य संवेदनशील स्थानों की ऑडियो- विडियोग्राफी करवाई जाएगी और उसमें ''रैगिंग समकक्ष व्यवहार'' प्रमाणित होने पर संबंधित छात्र के प्रति प्रकरण बनाकर उसे प्रावधानों के अनुसार दण्डित किया जा सकेगा।

रैगिंग सम्बन्धी मामलों की सुनवाई एवं निर्णय माननीय कुलपति द्वारा गठित समिति द्वारा निर्धारित प्रावधानों एवं प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा।

सुझाव/मार्गदर्शन

(1) वरिष्ठ विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे कनिष्ठ साथियों को संरक्षण, सुरक्षा एवं सुविधा देकर उनका प्रेम/आदर प्राप्त करें, न कि उन्हें पीड़ित एवं प्रताड़ित करके।

(2) इस तरह के हानिकारक, प्रतिष्ठा गिराने वाले, असामाजिक एवं अवांछनीय कृत्य से स्वयं को एवं साथियों को बचाएँ। भविष्य को उज्ज्वल, सुखद एवं गौरवशाली बनाएँ।

8. परीक्षा सम्बन्धी अनुशासन (Discipline During Examination)

1. अनुशासनहीनता (Indiscipline)

परीक्षा सम्बन्धी अनुशासन का अर्थ है परीक्षा के दौरान अच्छा आचरण। परीक्षा के दौरान अनुशासनहीनता में निम्नलिखित बिन्दु सम्मिलित होंगे -

(क) दुराचरण तथा दुर्व्यवहार, जैसे -

(I) बहिष्कार तथा बहिर्गमन।

(ii) दूसरों को बहिष्कार तथा बहिर्गमन के लिए उकसाना।

(iii) उत्तर-पुस्तिका अथवा प्रश्न-पत्र फाड़ना, सभी परीक्षार्थियों से उत्तर-पुस्तिकाएँ अथवा प्रश्न-पत्र छीनना तथा हटाना।

(iv) परिवीक्षक-वर्ग को अथवा सह-परीक्षार्थियों को गाली देना, छेड़ना तथा डराना और रोकना।

(v) परीक्षार्थियों के निर्धारित निर्देशों का उल्लंघन करना/पालन नहीं करना, प्रवेश पत्र/परिचय पत्र देने से इन्कार करना शक्ति का प्रदर्शन अथवा प्रयोग करना, हथियार व चोट करने वाले पदार्थ साथ में रखना ऐसा कोई भी कार्य करना जिससे विश्वविद्यालय परीक्षा-कार्य के नियमित संचालन में बाधा उत्पन्न हो। उपर्युक्त किसी एक अथवा अधिक कार्यों को बढ़ावा देना या स्वयं करना।

(ख) अनुचित साधनों का प्रयोग जैसे -

(I) विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक अथवा उनके कार्यालय के किसी व्यक्ति अथवा परीक्षा अधीक्षक अथवा परीक्षा संचालन से सम्बद्ध किसी व्यक्ति अथवा प्रश्न-पत्र बनाने वाले परीक्षक तथा अन्य परीक्षक के नाम पूछने के लिए अथवा प्रश्न-पत्र में आने वाले प्रश्न जानने के लिए, अंक देने के लिए, परीक्षक पर प्रभाव डालने के लिए और इस प्रकार परीक्षा कार्य में परीक्षक को अनुचित रूप से प्रभावित करने के लिए सम्पर्क करना और ऐसा प्रयत्न करना।

(ii) प्रश्न-पत्र हल करने में किसी परीक्षार्थी/परीक्षा भवन के अथवा बाहर के किसी व्यक्ति से सहायता लेना तथा हल करने में किसी को सहायता देना।

(iii)(अ) परीक्षा के समय प्रश्न-पत्र से सम्बद्ध कोई कागज, पुस्तक अथवा टिप्पणी आदि अपने पास में रखना।

(आ) दवात के डिब्बे पर, पैमाने पर अथवा ड्राइंग बॉक्स पर अथवा टेबिल जिस पर छात्र बैठा है पर प्रश्न पत्र से सम्बन्धित कुछ लिखित सामग्री प्राप्त होना।

(इ) शरीर के अंग, कपड़ों पर, उत्तर-पुस्तिका के अतिरिक्त कुछ भी प्रश्न-पत्र पर लिखा हुआ होना।

(iv) परीक्षा काल में परीक्षा से सम्बन्धित किसी भी अन्य अनुचित साधन जैसे - इशारे करना, हाव-भाव करना, बात करना, फुसफुसाना आदि का प्रयोग अथवा प्रयोग का प्रयत्न करना।

(v) उत्तर-पुस्तिका की परीक्षा भवन से तस्करी अथवा किसी भी विद्यार्थी के स्थान पर अन्य के द्वारा परीक्षा दिया जाना या सहायता करना।

(vi) परीक्षा में अन्य किसी प्रकार के अनुचित साधन का प्रयोग करना।

2. अनुशासनहीनता पर कार्यवाही की प्रक्रिया (Procedure for dealing with indiscipline)

परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा में प्रयुक्त अनुचित साधनों के मामलों, अनुचित साधनों के प्रयोग की शंका के मामलों में व्यवहार-प्रक्रियाएँ निम्नलिखित होंगी -

(I) उपर्युक्त अनुशासनहीनता की परिभाषा के अनुसार जब किसी परीक्षार्थी पर अनुचित साधन प्रयोग की शंका की जाती है तथा उसे इसमें लिप्त पाया जाता है तो वीक्षक/उड़नदस्ता अथवा केन्द्र अधीक्षक या तो स्वयं उसकी तलाश ले सकेगा अथवा किसी अन्य व्यक्ति से तलाशी का कार्य करा सकेगा। यदि तलाशी के परिणामस्वरूप परीक्षार्थी के पास से लिखित सामग्री मिलती है तो परीक्षार्थी के साथ इन नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(ii) ज्यों ही किसी परीक्षार्थी पर शंका होती है, वह अनुचित साधनों का प्रयोग करता पाया जाता है या उसके अनुचित साधनों के प्रयोग पर आमादा होने का प्रतिवेदन मिलता है, तो उसकी उत्तर-पुस्तिका और उससे प्राप्त अनुचित सामग्री ले ली जाएगी और प्रश्न-पत्र के शेष प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए उसे नई उत्तर-पुस्तिका दी जाएगी, परन्तु उपर्युक्त नियम के अन्तर्गत 'अनुचित' आचरण अथवा दुर्व्यवहार के लिए परीक्षा केन्द्र अधीक्षक द्वारा दण्डित किए जाने की दशा में नई उत्तर-पुस्तिका नहीं दी जाएगी। दोनों उत्तर-पुस्तिकाएँ (जिन पर i व ii अंकित होगा) और परीक्षार्थी से प्राप्त सामग्री जहाँ तक सम्भव हो सके परीक्षार्थी के हस्ताक्षर करवाकर और परीक्षा कक्ष-वीक्षक या उड़नदस्ता व केन्द्र अधीक्षक के हस्ताक्षर करवाकर विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक को व्यक्तिगत नाम से भेजी जाएगी। परीक्षार्थी द्वारा हस्ताक्षर करने से इन्कार करने की दशा में इस तथ्य का प्रतिवेदन में उल्लेख किया जाएगा।

(iii) वीक्षक/उड़नदस्ता अपना लिखित प्रतिवेदन देंगे। वीक्षक/उड़नदस्ता के प्रतिवेदन की जानकारी तत्काल परीक्षार्थी को दी जाएगी और उसी स्थान पर उसे अपना लिखित स्पष्टीकरण देने को कहा जाएगा।

(iv) यदि परीक्षार्थी तत्काल अपना मंतव्य लिखने से इंकार करता है या केन्द्र से भाग जाता है तो उसका मामला वीक्षक/उड़नदस्ता और केन्द्र अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा निपटाया जाएगा।

(v) केन्द्र-अधीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् परीक्षा नियंत्रक द्वारा निर्धारित प्रारूप में उस प्रश्न-पत्र के परीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त किया जाएगा।

(vi) (अ) परीक्षक का प्रतिवेदन विश्वविद्यालय में प्राप्त होने के पश्चात् इसकी सम्बन्धित सामग्री के साथ एक समुपयुक्त समिति द्वारा जाँच की जाएगी तथा यदि उनके दृष्टिकोण से अनुचित साधनों के प्रयोग का प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है तो वे निर्धारित प्रतिमानों के अन्तर्गत इसके लिए अस्थायी दण्ड निर्धारित करेंगे।

(आ) सम्बन्धित परीक्षार्थी को पंजीयन डाक द्वारा उनके परीक्षा आवेदन-पत्र पर दिए गए पते पर सूचना भेजी जाएगी, जिसमें सूचना प्राप्त होने की तिथि से 15 दिन की अवधि में यह कारण बताने का अवसर दिया जाएगा कि उसे अनुचित साधन प्रयोग करने का दोषी क्यों नहीं माना जाए तथा उसे प्रस्तावित दण्ड क्यों नहीं दिया जाए।

(इ) **अनुचित साधन परीक्षण समिति (Unfairmeans Examination Committee)** द्वारा परीक्षार्थी के उत्तर पर गौर किया जाएगा। यदि वह निर्धारित अवधि में प्राप्त हो जाता है तथा तत्पश्चात् प्रत्येक मामले में परीक्षार्थी को दिए जाने वाले अन्तिम दण्ड का कुलपति की स्वीकृति पश्चात् आदेश प्रसारित किया जाएगा।

(ई) **अनुचित साधन परीक्षण समिति (Unfairmeans Examination Committee)** द्वारा सम्पूर्ण मामले की जाँच पश्चात् प्रत्येक मामले में परीक्षार्थी को दिए गए अन्तिम दण्ड के आदेश को विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

(उ) जहाँ कारण बताओ सूचना का परीक्षार्थी से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, अनुचित साधन परीक्षण समिति (Unfairmeans examination Committee) द्वारा परीक्षार्थी को दिए जाने वाले दण्ड का प्रस्ताव किया जाएगा।

(vii) किसी भी स्थिति में परीक्षार्थी को अपनी तरफ से विश्वविद्यालय द्वारा की जाने वाली जाँच में किसी वकील को प्रस्तुत करने की आज्ञा नहीं दी जाएगी।

3. दण्ड के प्रतिमान

1. Norms of Punishment

1.1 Where a candidate is found having in his possession or within his reach any material relevant to the syllabus of the Examination paper concerned but has not copied from or used it :

(a)	If the behaviour of the candidate on being caught is satisfactory	Present Examination shall be cancelled, provided that if the material found in possession of the candidate is or insignificant nature, the punishment may be relaxed to the extent of cancellation of the examination of the particular paper (theory or practical) as the case may be and he/she will be treated as having obtained "Zero" mark in that paper with all the consequences to follow. However, if the candidate so desires, he/she will be given the option of appearing in the subsequent whole examination by canceling the present examination as a whole. If the material found in possession of the candidate is of significant nature then present examination of all papers shall be cancelled.

(b)	If the behaviour of the candidate on being caught is satisfactory	Present examination shall be cancelled and he/she shall be further debarred for one subsequent examination if the examination is held once a year or two subsequent examination if the examination is held twice a year (i.e. Semester Exam.).

1.2 Where a candidate is found to have copied from or used the material caught :

(a)	If the behaviour of the candidate on being caught is satisfactory	Present examination shall be cancelled and he shall be further debarred for one subsequent examination. If the examination is held once a year or two subsequent examination, if the examination is held twice a year (i.e. Semester exam.), provided that if the material found in possession of the candidate and/or the extent of copying done by the candidate is of insignificant nature the punishment may be relaxed to the extent of canceling the present examination only by Unfairmeans Committee.
(b)	If the behaviour of the candidate on being caught is satisfactory	Present examination shall be cancelled and he/she shall be further debarred from appearing at two subsequent examination, if the examination is held once a year or debarred from four subsequent examination, if the examination is held twice a year (i.e. Semester Exam.).

1.3 Where a candidate is found having in his possession or within his reach any restricted electronic equipment, mobile, pager, computer diary etc.

(a)	If the candidate has not made any use of such electronic equipment behaviour of candidate on being caught is satisfactory.	**Candidate's mobile, electronic equipment, pager, computer diary etc. shall be forfeited** and candidate shall be exonerated by issuing warning for the & future.
(b)	If the candidate has made use of it but the behaviour of the candidate on being caught is satisfactory.	**Candidate mobile, electronic equipment, pager, computer diary etc. & shall be forfeited** and only present theory examination shall be cancelled and if the examination is held once a year or two subsequent theory examination if the examination is held twice a year. (i.e. Semester Exam.).
(c)	If the candidate has made use of it but the behaviour of the candidate on being caught is unsatisfactory.	**Candidate's mobile, electronic equipment, pager, computer diary etc. shall be forfeited** and present examination shallbe cancelled and he/she shall be further debarred for one subsequent examination if the examination is held once a year or two subsequent examination if the examination is held twice a year.

1.4	**If the candidate is involved in sacrilegious of University Examination system or involved in any other serious matter related with sacredness of the examination process.**	**Candidate shall be disqualified from appearing or passing in any University Examination for one to three years including the present year of examination depending upon the nature and gravity of the offence.**

Note :

(1) If the candidate uses resistance or violence against the invigilator or any person on examination duty or consistently refuses to obey the instructions of the superintendent, the above punishment may be enhanced according to the gravity of the offence.

(2) The present examination is cancelled in 1.1 (a & b), 1.2 (a & b), 1.3 (b & c) and 1.4 refers to cancellation of only theory papers. However, if a candidate has offered dissertation/viva/voce/field work in lieu of any paper and the sessional work (marks)/internal assessment worki (marks) / practical work (marks) will not be cancelled in case the whole examination is cancelled. However, if unfairmeans case is reported during practical examination 1.1 (a) would refer to that particular practical examination only. In case of 1.2 a and b and c & 1.4 theory as well as practical examinations both shall be cancelled.

(3) After completion of punishment period, if the candidate is reappearing in the subsequent examination, he/she shall have to appear according to the existing scheme as well as syllabus of the class/course. In case scheme of subject/course paper etc. changed, the candidate exempted to appear in sessional examination and obtained theory paper marks will be proportionate out of the maximum marks of that paper (theory + sessional).

1.5 Where a candidate is appearing simultaneously in two examinations, the examination in which he/she has been found using unfairmeans will be cancelled, and he/she shall not be allowed to appear in any examination of the University during the period for which he/she is debarred.

1.6 The cases of employee candidates, indulging in unfairmeans and resorting to violence and misbehaviour, will be reported to the officers of the department concerned besides the punishment provided under the rules. All such cases of misconduct will be reported to the University forth with for action by the Centre Superintendent on the prescribed from for departmental action.

1.7 Notwithstanding the provisions regarding punishment provided in clause (3) above, the Superintendent of the Centre is empowered to expel a candidate from the examination hall in case of misconduct or misbehaviour as defined above.

1.8 Cases not covered under any of the above categories will be decided by the appropriate commiteee on their merit.

2. Norms related with tempering in University document & etc.

2(अ) परीक्षा तथा महाविद्यालयों में प्रवेश से सम्बन्धित अनुशासन में निम्नलिखित कार्यों को भी अनुचित साधनों का प्रयोग समझा जाएगा –

1. आवेदन पत्र में असत्य विवरण देकर या झूठे प्रलेख प्रस्तुत करके या ऐसे ही अन्य साधनों द्वारा किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पाना अथवा परीक्षा में प्रवेश पाना।
2. अभ्यर्थी द्वारा विश्वविद्यालय अथवा अन्य किसी समकक्ष संस्था द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र अथवा अंक तालिका अथवा किसी अन्य प्रलेख में की गई प्रविष्टि में हेर-फेर अथवा परिवर्तन करना।
3. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र/अंकतालिका इत्यादि की फोटो प्रति/प्रतिलिपि/ फोटोस्टेट प्रति में की गई प्रविष्टि में हेर-फेर अथवा परिवर्तन करना।

2 (ब) कार्रवाई की प्रक्रिया :

1. अभ्यर्थी द्वारा उपर्युक्त वर्णित अनुचित साधनों के मामलों में व्यवहार प्रक्रियाएँ विश्वविद्यालय विवरणिका में प्रकाशित "अनुशासनहीनता पर कार्रवाई की प्रक्रिया" के अनुसार होगी।
2. महाविद्यालय स्तर पर पाए जाने वाले मामलों की अधिष्ठाता/प्राचार्य/निदेशक द्वारा एक समुपयुक्त समिति द्वारा जाँच करवाई जाएगी तथा यदि उनके दृष्टिकोण में उपर्युक्त अनुचित साधनों के प्रयोग का प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है तो सम्बन्धित सभी दस्तावेजों के साथ मामलों को परीक्षा नियंत्रक को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जाएगा।

2 (स) दण्ड के मानक / प्रतिमान : अनुचित साधन परीक्षण समिति द्वारा दण्ड प्रधान करने के लिए निम्नानुसार मानक निर्धारित किए जाते हैं –

1. यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन पत्र में असत्य विवरण देकर या झूठे प्रलेख प्रस्तुत कर या ऐसे अन्य साधनों का प्रयोग कर महाविद्यालय में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश पाने का दोषी पाया जाए तो उसका प्रवेश निरस्त कर विश्वविद्यालय की उस वर्ष की किसी भी परीक्षा और आगामी दो वर्षों तक के लिए किसी भी परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया जाए।
2. यदि कोई परीक्षार्थी आवेदन पत्र में असत्य विवरण देकर या झूठे प्रलेख प्रस्तुत कर या ऐसे अन्य साधनों का प्रयोग कर परीक्षा में प्रवेश पाने का दोषी पाया जाए तो उसकी उस वर्ष की परीक्षा निरस्त कर उस प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए उसे आगामी दो वर्षों तक के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया जाए।

3. यदि किसी भी छात्र/छात्रा द्वारा उपर्युक्त (अ) 1, 2 अथवा 3 की कार्रवाई किसी भी प्रकार के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई है या लाभ प्राप्त कर लिया हो या लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयास किया गया हो तो सम्बन्धित छात्र/छात्रा की सम्बन्धित परीक्षा को निरस्त कर विश्वविद्यालय की आगामी एक वर्ष के लिए किसी भी परीक्षा प्रविष्ट होने से वंचित कर दिया जाए। साथ ही यदि छात्र/छात्रा द्वारा उसका लाभ लेते हुए आगे की कक्षाओं की परीक्षाएँ भी उत्तीर्ण कर ली गई हों तो उन्हें भी निरस्त कर विश्वविद्यालय की आगामी एक वर्ष के लिए किसी भी परीक्षा में प्रविष्ट होने से वंचित कर दिया जाए।

4. कोई भी अभ्यर्थी अपनी अंक तालिका में नाम आदि के भाग को किसी अन्य छात्र/छात्रा की अंक तालिका में प्राप्तांक वाले भाग में चिपकाने पर अथवा इस प्रकार की प्रमाण पत्र/अंक तालिका की फोटो प्रति/फोटो स्टेट/प्रतिलिपि प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित छात्र/छात्रा की सम्बन्धित परीक्षा को निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही यदि उस छात्र ने इसका लाभ लेते हुए आगे की कक्षाओं की परीक्षाएँ भी उत्तीर्ण कर ली गई हैं तो उन्हें भी निरस्त कर विश्वविद्यालय की आगामी दो वर्षों के लिए किसी भी परीक्षा में प्रविष्ट होने से वंचित कर दिया जाएगा।

5. अभ्यर्थी ने विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रवेश पाने की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी है तब उसका प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा, जिसे परीक्षा केन्द्राध्यक्ष को दिखाने पर उस अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। परन्तु इसी दौरान यह पता चलता है कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ झूठे प्रलेख अथवा अंक तालिका इत्यादि प्रस्तुत कर गलत तरीके से परीक्षा में बैठने का प्रयास किया गया है तो संबंधित अभ्यर्थी से सम्बन्धित मूल प्रमाण पत्र अथवा अंक तालिकाएँ विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग अथवा महाविद्यालय अधिष्ठाता/प्राचार्य/निदेशक के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा जाएगा। यदि अभ्यर्थी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं हो रहा है अथवा बहानेबाजी कर रहा है, तो उसे बचे हुए प्रश्न पत्रों की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा इसके पश्चात् सम्पूर्ण प्रकरण अनुचित साधन परीक्षण समिति में रखकर वांछित निर्णय किया जाएगा।

6. विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रविष्ट होकर उत्तीर्ण घोषित छात्रों में से किसी के सम्बन्ध में यदि परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कभी भी यह जानकारी प्राप्त हो कि छात्र ने उक्त परीक्षा में प्रवेश असत्य विवरण देकर, तथ्य छिपाकर या प्रविष्टियों में परिवर्तन कर प्राप्त किया था या वह किसी आधार पर उक्त परीक्षा के योग्य नहीं था तो उसकी परीक्षा अथवा परीक्षाएँ निरस्त करने और/या उस मामले के गुण दोषों के आधार पर अन्य दण्ड देने पर भी विचार किया जा सकेगा।

7. उपर्युक्त से सम्बन्धित गम्भीर प्रकरणों में दोषी अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय की भविष्य में होने वाली किसी भी परीक्षा में बैठने से समिति द्वारा वंचित किया जा सकेगा।

8. उपर्युक्त श्रेणियों में से किसी में भी आने वाले मामलों को **अनुचित साधन परीक्षण समिति (Unfairmeans Examination Committee)** द्वारा उनके गुण-दोषों के आधार पर निर्णय लेकर निपटाया जाएगा या सम्बन्धित प्राधिकारियों को सौंपा जाएगा तथा गम्भीर मामलों में पुलिस कार्रवाई हेतु भी सम्बन्धित प्राधिकारियों को निर्देशित किया जा सकेगा। साथ ही यदि प्रकरण में विश्वविद्यालय द्वारा पुलिस कार्रवाई की जानी है तो वह विश्वविद्यालय कुलसचिव/महाविद्यालय अधिष्ठाता स्तर से की जा सकेगी।

Additional Provision for Dealing with the cases of Using Unfairmeans during the Examination

In addition to the provisions laid down from Page No. 61 to 68 to deal with cases of unfairmeans during the examination by the University, such candidates will also be dealt with additionally in pursuance of the Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfairmeans) Act, 1992 which is reproduced below.

THE RAJASTHAN PUBLIC EXAMINATION (PREVENTION OF UNFAIR MEANS) ACT, 1992

(Received the assent of The Governor on the 8th day of November, 1992)

An

Act

to prevent the leakage of question papers and use of unfairmeans of Public Examinations and to provide for matter connected there with the incidental thereto.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Forty-third Year of the Republic of India as follows :

1. **Short title, extent and commencement :**

   (1) This Act may be called the Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfairmeans) Act, 1992.

(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force at once.

2. **Definitions -** In the Act -

(a) "examination centre" means any place fixed for holding public examination and includes the entire premises attached thereto.

(b) "public examination" means any examination specified in the schedule.

(c) "unfairmeans" in relation to an examination while answering question in a public examination, means the unauthorised help from any person, or from any material written, recorded or printed, in any form whatsoever or the use of any unauthorised telephone, wireless or electronic or other instrument or gadget; and

(d) the words and expression used herein and not defined in the Indian Penal Code (45 of 1960) have the meaning, respectively assigned to then in that code.

3. **Prohibition to use of Unfairmeans :** No person shall use unfairmeans at any public examination.

4. **Unauthorised possession or disclosure of question paper :** No person who is not lawfully authorised or permitted by virtue of his duties so to do shall before the time fixed for distribution of question papers to examinees at a public examination.

(a) procedure or attempt to procure of possess, such question paper or any portion or copy thereof; or

(b) impart or offer to impart, information which he knows or has reason to believe to be related to or derived from or to have a beating upon such question paper.

5. **Prevention of Leakage by person entrusted with examination work :** No person who is entrusted with any work pertaining to public examination shall, except where he is permitted by virtue of his duties so to do directly or indirectly divulge or cause to be divulged or make known to any other person any information or part thereof which has come to his knowledge by virtue of the work being so entrusted to him.

6. **Penalty :** Whoever contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of the provisions of section 3 or section 4 or section 5, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years of with fine which may extend to two thousand rupees or with both.

7. **Penalty for offence with preparation to cause hurt :** Whoever commits an offence punishable under section 6 having made preparation for, causing death of any person or causing hurt to any person or assaulting any person or for putting any person in fear of death or hurt or assault or wrongful restraint shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine which may extend to five thousand rupees.

8. **Power to amend Schedule :** The Statement Government may be notification in the Official Gazette, include in the Schedule any other public examination in respecft of which it considers necessary to apply the provision of this Act and upon the publication in the Official Gazette the Schedule shall be deemed to have amended accordingly.

The Schedule

(Section 2)

1. Any examination conducted by the Board of Secondary Education of Rajasthan under the Rajasthan Secondary Examination Act, (Act No.42 of 1957).
2. Any examination conducted by any University established by law in India.
3. Any examination conducted by the Rajasthan Public Service Commissions or Union Public Service Commission.

J.P. Bansal

Secretary to the Government

DIFFERENT CELLS AND CENTRES OPERATIONAL IN MOHANLAL SUKHADIA UNIVERSITY, UDAIPUR

WEBSITE LINK: https://www.mlsu.ac.in/Cells-and-Centres

Cell and Centres	Officers Name	Phone No.	Official Email
University Guest House	Dr. Hanuman Prasad	0294-2471798	
University Computer Centre	Dr. Avinash Panwar, Director		ucc@mlsu.ac.in
Internet Centre	Mohit Kumar Gokhroo, Incharge	0294-2471310	ucc@mlsu.ac.in
Hostels	Dr. Manju Baghmar, Chief Warden	0294-2413955 (O), 2412784(MB Hostel), 2583689 (Nehru Hostel),2412715(Girls Hostel)	chiefwarden@mlsu.ac.in
Estate Office	Sh. Rakesh Jain, University Engineer	0294-2471900	uniengineer@mlsu.ac.in
University Legal Adviser	Sh. Arun Vyas	9828141618/ 9413024481	
Statutory Auditor	M/S. Bansilal Shah & Co.		
RTI	Prof. G.S. Rathore	0294-2470958	
Chief Proctor	Prof. B.L. Verma		
N.S.S.	Prof. C.R.Suthar, Coordinator		conss@mlsu.ac.in
College Development Council	Prof. G.S. Rathore, Director		

Entrepreneurship & Skill Development Centre	Director	0294-2413191, 2413955	
Population Research Centre	Prof. Kalpana Jain, Director		
University Central Anti Ragging Committee	Prof. L.S. Chouhan, Convener		
University Employment & Advisory Bureau	Prof. Hadees Ansari, Director		
SC/ST Cell	Prof. P.M. Yadav, Coordinator		
Competitive Exam, Coaching Centre	Prof. Pradeep Trikha, Coordinator		
International Students	Prof. Pradeep Trikha, Advisor		
University Media Cell	Dr. Kunjan Acharya, Nodal Officer		
Entrepreneurship Development Cell		0294-2413191, 2413955	
Entrepreneur and Small Business Development	Prof. Anil Kothari, Coordinator		
Courses Centre			
Entrepreneur and Small Business Management	Prof. Hanuman Prasad, Coordinator		
Centre For Soft Skills	Prof. Seema Malik, Coordinator	0294-2471035/ 2471794	
University Research & Development Cell	-		
Equal Opportunity Cell	Prof. Sudha Choudhary, Convener		

Centre Of Initiative for Innovation & Development Action	-		
Internal Quality Assurance Cell	Prof. N Lakshmi, Director		
Intellectual Property Rights Cell	, Convener	0294-2471035/2470918	
Minority Cell	Prof. Kalpana Jain, Convener	0294-2471035/2470918	
Smart Village	Prof. B.L. Verma, Nodal Officer		
Placement Cell	Prof. Anil Kothari, Co-ordinator		
Center for Capacity Building of Students (CCBS)	Dr. Giriraj Singh Chouhan, Director		
वंशावली अध्ययन एवं शोध केन्द्र	Head, Department of History, Ex-officio Honorary Director		
Unnat Bharat Abhiyan (UBA) Cell	Dr. Vineet Soni, Convener		

6. सामान्य अनुशासन नियम (General Discipline Rules)

1. मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के सामान्य अनुशासन के नियम विश्वविद्यालय तथा इसके सभी संघटक एवं सम्बद्ध महाविद्यालय के विद्यार्थियों पर लागू होंगे।

2. **परिभाषाएँ :** सामान्य अनुशासन विद्यार्थियों द्वारा अच्छे व्यवहार की अनुपालना है। अनुशासनहीनता में निम्नलिखित व्यवहार सम्मिलित हैं –

(क) उपस्थिति में लगातार अनियमितता, सामूहिक रूप से कक्षाएँ छोड़ना और प्रदत्त कार्य में लापरवाही करना।

(ख) कक्षा-कक्ष, कार्यालय, पुस्तकालय, छात्रावास, खेलकूद के मैदान, महाविद्यालय परिसर, विश्वविद्यालय प्रशासनिक कार्यालय और विश्वविद्यालय परिसर में अशांति उत्पन्न करना या बाधा डालना या उपद्रव करना।

(ग) विश्वविद्यालय के तत्कालीन प्रभारी के नियमानुसार आदेशों, नियमों की अवज्ञा करना तथा उन्हें चुनौती देना।

(घ) सभी प्रकार की जाँच परीक्षाओं, परीक्षा-कार्यों, पाठ्यक्रम सम्बन्धी तथा सह-पाठ्यक्रम सम्बन्धित कृत्यों, विद्यार्थी संघों से सम्बन्धित विश्वविद्यालय के चुनावों इत्यादि में दुराचरण, दुर्व्यवहार या अनुचित साधनों का उपयोग करना।

(ङ) विश्वविद्यालय, महाविद्यालय/संस्थान के शैक्षणिक, शैक्षणेतर कर्मचारियों अथवा विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/संस्थान के वैधानिक घटकों के किसी सदस्य अथवा किसी सहपाठी के प्रति दुर्व्यवहार या दुराचरण करना।

(च) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान की सम्पत्ति (जिसमें पुस्तकालय की पुस्तकें तथा सामयिक पत्रिकाएँ भी सम्मिलित हैं) को किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचाना अथवा उन पर कुचित्र अंकित करना, अपशब्द लिखना अथवा उनका कोई अन्य दुरुपयोग करना।

(छ) भ्रामक प्रचार या अफवाहें फैलाना/भड़काना या उकसाना।

(ज) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय प्रांगण या परिसर में नशीला पेय या मादक पदार्थ/सामग्री का उपयोग करना।

(झ) मांगने पर परिचय पत्र प्रस्तुत करने से इंकार करना।

(ञ) अध्ययन काल में परिसर या परिसर के बाहर अपराध या किसी प्रकार के आपराधिक/ दण्डनीय कृत्यों में लिप्त होना।
उपर्युक्त मद 2 (ख) में उल्लेखित विश्वविद्यालय स्थानों में अपने पास अस्त्र-शस्त्र रखना।

(थ) किसी अवसर पर छद्म व्यक्तिता (Impersonation)

(द) उपर्युक्त कृत्यों में से किसी के भी संबंध में अन्य व्यक्ति को उत्तेजित करना/उकसाना।

नोट : परीक्षाओं तथा छात्रावासों से संबंधित अनुशासनहीनता के संबंध में अनुशासन सम्बन्धी सामान्य नियमों के साथ छात्रावासों/ परीक्षाओं में अनुचित साधनों तथा अव्यवस्थित व्यवहार के मामले के लिए निर्धारित नियम लागू होंगे।

3. अनुशासन पर्यवेक्षण (Supervision of Discipline)

अनुशासन विभिन्न स्तरों पर पर्यवेक्षित किया जाएगा और इस सम्बन्ध में उत्तरदायित्व निम्नलिखित द्वारा सहभाजित किया जाएगा –

(अ) अधिष्ठाता (आ) परीक्षा केन्द्राधीक्षक (इ) चीफ प्रोक्टर (ई) केन्द्रीय पुस्तकालय अध्यक्ष

(उ) महाविद्यालय सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष/सहायक छात्र कल्याण अधिष्ठाता/सहायक कुल सचिव/प्रॉक्टर

(ऊ) विभागों के अध्यक्ष (ए) छात्रावास वार्डन तथा प्रमुख वार्डन

(ऐ) शारीरिक शिक्षा निदेशक, खेल प्रशिक्षक एवं शैक्षणिक यात्रा प्रशिक्षण प्रभारी।

4. प्रॉक्टोरियल बोर्ड (Proctorial Board)

(क) विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए कुलपति द्वारा एक प्रॉक्टोरियल बोर्ड का गठन किया जाएगा। विश्वविद्यालय एवं इसके शिक्षार्थियों से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिसर अथवा उसके बाहर होने वाले अनुशासन सम्बन्धित सभी प्रकरण/मामले इस प्रॉक्टोरियल बोर्ड के क्षेत्राधिकार में निहित होंगे। इसमें विश्वविद्यालय के केन्द्रीय कार्यालय, सम्बन्धित महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय पुस्तकालय, खेल के मैदान, छात्रावास आदि सम्मिलित हैं।

(ख) प्रॉक्टोरियल बोर्ड निम्नलिखित प्रकार से गठित होगा –

1. मुख्य प्रॉक्टर (अध्यक्ष)
2. सभी संघटक महाविद्यालय के प्रॉक्टर
3. सम्बन्धित महाविद्यालय के अधिष्ठाता द्वारा मनोनीत सदस्य

Prof. Pradeep Trikha
Director IQAC
Department of English
MLSU, Udaipur

(ग) प्रॉक्टोरियल बोर्ड के कार्य निम्नलिखित होंगे –

1. विश्वविद्यालय से संबंधित सभी अनुशासन प्रकरणों में कुलपति को परामर्श और सहायता देना।
2. विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाए रखना।
3. विश्वविद्यालय में अनुशासन बनाए रखने के लिए स्थानीय नागरिक प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों से सम्पर्क रखना।
4. विश्वविद्यालय में अनुशासनहीनता के प्रकरणों पर कार्रवाई करना।
5. ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना जिनमें अनुशासनहीनता के प्रकरणों पर रोक लगे।
6. अनुशासनहीनता के प्रकरणों में आपराधिक एवं अन्य पुलिस मामलों के अभियोजन के लिए विश्वविद्यालय अधिकारियों की सहायता करना।

5. अधिकारों के प्रयोग हेतु क्रियाविधि (Procedure for Exercise of Powers)

(क) कुलपति एवं संस्थाध्यक्षों के अतिरिक्त समस्त प्राधिकारी अनुशासनहीनता के मामलों में संक्षिप्त प्रक्रिया के पश्चात् अपने में निहित शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। कुलपति एवं संस्थाध्यक्ष किसी भी मामले में अपने में निहित शक्तियों का प्रयोग मामले पर संक्षिप्त विचार के बाद या आवश्यक समझें तो अनुशासन समिति की सहायता से कर सकते हैं।

(ख) अनुशासन समिति का गठन :

(i) **विश्वविद्यालय स्तर (University Level) :** कुलपति द्वारा मनोनीत विश्वविद्यालय स्तरीय अनुशासन समिति का गठन निम्न प्रकार होगा –

(अ)	अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/वरिष्ठ संकाय सदस्य (कोई एक)	(अध्यक्ष)
(ब)	छात्र कल्याण अधिष्ठाता	(सदस्य)
(स)	विश्वविद्यालय के शिक्षकों में कोई दो	(सदस्य)
(द)	चीफ प्रॉक्टर	(सदस्य सचिव)

(ii) **संस्था/महाविद्यालय स्तर (Institution/College Level) :** अधिष्ठाता द्वारा मनोनीत अनुशासन समिति का गठन निम्न प्रकार होगा –

(अ)	अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/वरिष्ठ संकाय सदस्य (कोई एक)	(अध्यक्ष)
(ब)	सहायक छात्र कल्याण अधिष्ठाता	(सदस्य)
(स)	महाविद्यालय के दो संकाय सदस्य	(सदस्य)
(द)	प्रॉक्टर	(सदस्य सचिव)

6. अनुशासन समिति द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया (Procedure to be followed by Discipline Committee)

(1) समिति अनुशासनहीनता के ऐसे प्रकरण की जाँच करेगी जो कुलपति/संस्थाध्यक्ष द्वारा उसे निर्देशित किया जाए।

(2) जब कोई विद्यार्थी गंभीर आपराधिक कार्य, गंभीर दुराचरण, कार्य की अनवरत लापरवाही अथवा दुर्व्यवहार का आरोपी/दोषी हो अथवा विश्वविद्यालय/संस्थान के कार्यविधि एवं कर्तव्य पालन के समय में दुर्व्यवहार आदि के कारण किसी विद्यार्थी के विरुद्ध विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी/शिक्षक/कर्मचारी ने पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराई हो तो उसे कुलपति/महाविद्यालय के अधिष्ठाता/विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों के अध्यक्ष, जहाँ विद्यार्थी अध्ययनरत हो, तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर देंगे। निलम्बन काल में विद्यार्थी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की किसी भी गतिविधियों में (परीक्षा में बैठने सहित) भाग लेने तथा अपनी कक्षाओं में उपस्थित होने के अयोग्य होगा। जब विद्यार्थी छात्रावास से भी निलम्बित हो तथा जांच काल में हो तो वार्डन अथवा प्रमुख वार्डन ऐसे विद्यार्थी को छात्रावास से भी निलम्बित कर सकते हैं। यदि पुलिस के द्वारा किसी न्यायालय में विद्यार्थी के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज कर दिया गया हो तो उसे तत्काल निलम्बित कर दिया जाएगा।

(3) कोई विद्यार्थी जो इस प्रकार निलम्बित किया गया हो अथवा जिसे निकाल दिया गया हो विश्वविद्यालय के किसी महाविद्यालय/अन्य शिक्षण इकाई में, बिना उस अधिकारी की अनुमति के जिसने उसे निलम्बित किया/निकाला था, प्रवेश के लिए अयोग्य होगा।

(4) जाँच समिति के बारे में संबंधित विद्यार्थी को सूचना दी जाएगी तथा उसे अपने पक्ष को समिति के सामने प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान किया जाएगा।

(5) जाँच समिति के बारे में संबंधित विद्यार्थी की सभी सूचनाएँ महाविद्यालय के पते पर तथा उसके घर के पते अथवा प्रवेश आवेदन-पत्र में दिए पते पर भेजी जाएगी।

(6) यदि सम्बन्धित विद्यार्थी जाँच कार्य में अनुपस्थित रहता है अथवा असहयोग करता है अथवा अवरोध प्रस्तुत करता है तो समुचित सूचना देने के बाद जाँच एक पक्षीय पूरी की जा सकती है।

Prof. Pradeep Trikha
Director IQAC
Department of English
MLSU, Udaipur

(7) जाँच के किसी भी चरण में किसी भी पक्षकार की तरफ से किसी अधिवक्ता को उपस्थित करने की अनुमति नहीं होगी।

(8) अनुशासन समिति अपनी बैठक करके उचित विचार-विमर्श के बाद समुचित दण्ड, जिसमें जुर्माना, निश्चित अवधि के लिए निष्कासन अथवा इन दोनों की अनुशंसा करेगी। दण्ड की क्रियान्विति निलम्बित करने वाले अधिकारी द्वारा की जाएगी।

(9) अनुशासन समिति के प्रतिवेदन पर कुलपति/संस्थाध्यक्ष द्वारा विचार किया जाएगा और उचित विचार के बाद वह इस पर जैसा उचित समझे वैसा आदेश प्रदान करेंगे। उस आदेश की एक प्रति विद्यार्थी को दी जाएगी तथा उसकी अन्य प्रति महाविद्यालय के सूचना-पट्ट पर लगा दी जाएगी।

7. अपील का अधिकार (Right to Appeal)

(1) विद्यार्थी को संकाय सदस्य द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध पाँच दिनों के अन्दर-अन्दर संस्थाध्यक्ष से अपील करने का अधिकार होगा।

(2) विद्यार्थी को संस्थाध्यक्ष द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध कुलपति से एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के मामलों में निदेशक महाविद्यालय शिक्षा राजस्थान से अपील करने का अधिकार होगा। ऐसी अपील आदेश निर्गमन की तिथि के 15 दिन के अन्दर-अन्दर अवश्य कर देनी चाहिए।

टिप्पणियाँ :

(अ) किसी भी विद्यार्थी को जिसे निलम्बित या निष्कासित या अस्थायी रूप से निकाला गया है, किसी अन्य महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय की अन्य शिक्षण इकाई में बिना उस अधिकारी की, जिसने उसे निलम्बित निष्कासित या अस्थायी रूप से निकाला था, पूर्वानुमति के प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा और न ही कोई ऐसा विद्यार्थी जिसे अस्थायी रूप से निकाला गया है, इस निष्कासन अवधि में किसी अन्य महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकेगा। दण्ड देने वाला अधिकारी ऐसे दण्ड आदेशों को अन्य महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय को सूचित तथा आवश्यक कार्यवाई हेतु संप्रेषित करेगा।

(आ) निष्कासन एवं रेस्टीकेशन के सभी मामले प्रबन्ध बोर्ड को प्रतिवेदित किए जाएँगे।

(इ) ऐसा कोई भी मामला जो अनुशासन से संबंधित हो और उपर्युक्त नियमों के अन्तर्गत नहीं आता हो ,उसे जब कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, संस्थाध्यक्ष निपटाएगा। ऐसे मामलों पर लिए गए निर्णय कुलपति द्वारा पुनर्विचार योग्य होंगे।

(ई) संस्थाध्यक्ष दिए जाने वाले दण्ड का आलेख करेंगे और निष्कासन और रेस्टीकेशन या अन्य किसी कठोर दण्ड की दशा में विद्यार्थी के चरित्र प्रमाण-पत्र में इसका समुचित उल्लेख करेंगे।

(उ) अनुशासनहीनता के लिए लगाया गया दण्ड बकाया शुल्क के रूप में वसूल किया जाएगा। चूक होने पर उपस्थित पंजिका से विद्यार्थी का नाम काट दिया जाएगा।

8. अपील का निस्तारण (Disposal of Appeal)

(1) संस्थाध्यक्ष स्वयं या उपर्युक्त संख्या 6 के अन्तर्गत गठित समिति की सहायता से अपील का निस्तारण कर सकेंगे।

(2) कुलपति स्वयं या उनके द्वारा गठित समिति की सहायता से अपील का निस्तारण कर सकेंगे।

(3) अपील पर विचार किया जाकर उसका समुचित समयावधि में निस्तारण किया जाएगा। कुलपति या समिति द्वारा जैसी भी दशा हो, अपीलकर्ता छात्र को चाहने पर उसे व्यक्तिगत रूप से अपनी बात कहने का एक अवसर दिया जा सकेगा और कुलपति अपील पर विचार करने और यदि जाँच समिति गठित की गई हो तो इस समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के बाद मामले का पुन: निरीक्षण कर सकेंगे तथा उचित विचार के बाद दण्ड पर सहमति अथवा इसमें वृद्धि अथवा कमी कर सकेंगे अथवा विद्यार्थी को निर्दोष घोषित कर सकेंगे अथवा जैसा उचित समझे आदेश जारी करेंगे जो अन्तिम होगा।

Prof. Pradeep Trikha
Director IQAC
Department of English
MLSU, Udaipur

7. रैगिंग विरोधी नियम एवं दण्ड के प्रावधान
(Anti-Ragging Rules and Provisions for Punishment)

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के किसी भी महाविद्यालय, पुस्तकालय, खेल के मैदान, छात्रावास, प्रयोगशाला अथवा परिसरों में ''रैगिंग'' लेना कानूनी रूप से दण्डनीय अपराध है। उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार छः माह का कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये अर्थदण्ड अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

रैगिंग का अर्थ :

किसी विद्यार्थी को अन्य विद्यार्थी अथवा विद्यार्थियों के समूह द्वारा पीड़न, उत्पीड़न या भयाक्रांत करना, मानसिक एवं शारीरिक वेदना पहुँचाना, निर्दयता का व्यवहार करना, मानवाधिकार के अन्तर्गत प्राप्त व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं गरिमा के अधिकार को क्षति पहुँचाना अथवा उनका हनन या उल्लंघन करना, कामुक-अश्लील हरकतें करने को बाध्य करना अथवा न करने पर शारीरिक-मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, ऐसा कायिक एवं वाचिक व्यवहार करना जिसके कारण कोई असुरक्षित, असहाय, शोषित एवं पीड़ित अनुभव करे, संस्थान की सम्पत्ति एवं सुविधाओं को क्षति पहुँचाना, अभद्र भाषा एवं अपशब्दों का प्रयोग करना, किसी की महत्वाकांक्षा, लक्ष्य अथवा प्रशिक्षण में बाधा पहुँचाना अथवा ऐसा अवरोध पैदा करना कि इनकी पूर्ति में कठिनाइयाँ बढ़ जाए, संस्थान द्वारा स्वीकृत अनुशासन के मापदण्डों के विरुद्ध व्यवहार करना रैगिंग के अन्तर्गत माना गया है।

नोट : परिचय पार्टी में किए जाने वाले मनोविनोद अथवा हंसी मजाक ''रैगिंग'' में सम्मिलित नहीं है।

रैगिंग निरोधी प्रबन्धन

(1) विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर पर रैगिंग निरोधी दस्तों का गठन किया गया है एवं उनके द्वारा परिसरों का निरीक्षण किया जाता है।

(2) रैगिंग विरोधी अधिकारियों के नाम, पद, दूरभाष नं. आदि का प्रकाशन सूचना पुस्तिका में प्रदत्त है। रैगिंग की स्थिति में पीड़ित छात्र/छात्रों द्वारा शीघ्र सम्पर्क किया जाना चहिए।

(3) नव प्रविष्ट विद्यार्थी को मित्र-समूह के साथ रहने की सलाह दी जाती है। वे अनावश्यक धनराशि साथ न लाएँ।

(4) रैगिंग विरोधी पोस्टर, संदेश अथवा सूचना पत्रों को ध्यान से पढ़ें एवं उनमें दिए गए सुझावों पर अमल करें।

(5) विश्वविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी अथवा किसी परिचित वरिष्ठ साथी को नव-प्रविष्ट विद्यार्थी द्वारा प्रवेश के प्रारम्भिक दिनों का विवरण प्रतिदिन बताना चाहिए।

दण्ड के प्रावधान

रैगिंग की सूचना प्राप्त होने एवं प्रक्रिया द्वारा उसके सिद्ध/प्रमाणित होने पर निम्न दण्ड (रैगिंग की गंभीरता के अनुसार) दिए जा सकते हैं :-

(1) महाविद्यालय/विश्वविद्यालय के माध्यम से देय सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों अथवा सुविधाओं पर प्रतिबंध। इसे दोषी छात्र के अभिभावकों को सूचित करना।

(2) विश्वविद्यालय में दिए गए प्रवेश को निरस्त करना।

(3) रैगिंग निरोधी समिति द्वारा विशेष अवधि तक कक्षा में प्रवेश को निषिद्ध करना।

(4) छात्रावास में दिए गए प्रवेश को निरस्त करना।

(5) रैगिंग की गंभीरता के अनुसार अन्य शैक्षणिक संस्थानों में दिए जाने वाले प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना।

(6) ''आपराधिक रैगिंग'' में पुलिस में प्रकरण दर्ज करवाना।

Prof. Pradeep Trikha
Director IQAC
Department of English
MLSU, Udaipur

(7) रैगिंग के दोषी विद्यार्थी के चरित्र प्रमाण पत्र, स्थानान्तरण पत्र एवं डिग्री में इस तथ्य का उल्लेख करना कि 'अमुक डिग्रीधारी रैगिंग लेने का दोषी है।'

(8) रैगिंग लेने वाले विद्यार्थी के नाम एवं पते के साथ दी गई सजा को समाचार पत्र में प्रकाशित करना।

(9) जिला एवं पुलिस प्रशासन को रैगिंग के दोषी विद्यार्थी की सूची देना एवं पुनरावृत्ति न करने को पाबन्द करवाना।

(10) रैगिंग में व्यक्ति विशेष के दोषी न होने पर रैगिंग लेने वाले पूरे समूह को उपर्युक्त किसी भी दण्ड का पात्र माना जाकर सभी को दण्डित किया जा सकता है।

(11) यदि किसी अखबार/समाचार पत्रिका में रैगिंग लेने वाले विद्यार्थी का नाम महाविद्यालय के नाम के साथ प्रकाशित होता है तो इसे भी ''रैगिंग योग्य केस'' मानकर उल्लेखित विद्यार्थी को दण्डित किया जा सकता है। पीड़ित विद्यार्थी द्वारा ''रैगिंग निरोधी दस्ते''को लिखित सूचना देना अनिवार्य नहीं है।

(12) रैगिंग की अधिकतम सजा छः माह का कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये का आर्थिक दण्ड अथवा दोनों सजाएँ साथ-साथ दी जा सकती हैं।

(13) रैगिंग लेना अथवा रैगिंग लेने को उकसाना समान रूप से दण्डनीय है।

(14) प्रवेश के प्रारम्भिक दिनों में सक्षम अधिकारियों द्वारा रैगिंग योग्य संवेदनशील स्थानों की ऑडियो- विडियोग्राफी करवाई जाएगी और उसमें ''रैगिंग समकक्ष व्यवहार'' प्रमाणित होने पर संबंधित छात्र के प्रति प्रकरण बनाकर उसे प्रावधानों के अनुसार दण्डित किया जा सकेगा।

रैगिंग सम्बन्धी मामलों की सुनवाई एवं निर्णय माननीय कुलपति द्वारा गठित समिति द्वारा निर्धारित प्रावधानों एवं प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा।

सुझाव/मार्गदर्शन

(1) वरिष्ठ विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे कनिष्ठ साथियों को संरक्षण, सुरक्षा एवं सुविधा देकर उनका प्रेम/आदर प्राप्त करें, न कि उन्हें पीड़ित एवं प्रताड़ित करके।

(2) इस तरह के हानिकारक, प्रतिष्ठा गिराने वाले, असामाजिक एवं अवांछनीय कृत्य से स्वयं को एवं साथियों को बचाएँ। भविष्य को उज्ज्वल, सुखद एवं गौरवशाली बनाएँ।

Prof. Pradeep Trikha
Director IQAC
Department of English
MLSU, Udaipur

8. परीक्षा सम्बन्धी अनुशासन (Discipline During Examination)

1. अनुशासनहीनता (Indiscipline)

परीक्षा सम्बन्धी अनुशासन का अर्थ है परीक्षा के दौरान अच्छा आचरण। परीक्षा के दौरान अनुशासनहीनता में निम्नलिखित बिन्दु सम्मिलित होंगे -

(क) दुराचरण तथा दुर्व्यवहार, जैसे -

(I) बहिष्कार तथा बहिर्गमन।

(ii) दूसरों को बहिष्कार तथा बहिर्गमन के लिए उकसाना।

(iii) उत्तर-पुस्तिका अथवा प्रश्न-पत्र फाड़ना, सभी परीक्षार्थियों से उत्तर-पुस्तिकाएँ अथवा प्रश्न-पत्र छीनना तथा हटाना।

(iv) परिवीक्षक-वर्ग को अथवा सह-परीक्षार्थियों को गाली देना, छेड़ना तथा डराना और रोकना।

(v) परीक्षार्थियों के निर्धारित निर्देशों का उल्लंघन करना/पालन नहीं करना, प्रवेश पत्र/परिचय पत्र देने से इन्कार करना शक्ति का प्रदर्शन अथवा प्रयोग करना, हथियार व चोट करने वाले पदार्थ साथ में रखना ऐसा कोई भी कार्य करना जिससे विश्वविद्यालय परीक्षा-कार्य के नियमित संचालन में बाधा उत्पन्न हो। उपर्युक्त किसी एक अथवा अधिक कार्यों को बढ़ावा देना या स्वयं करना।

(ख) अनुचित साधनों का प्रयोग जैसे -

(I) विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक अथवा उनके कार्यालय के किसी व्यक्ति अथवा परीक्षा अधीक्षक अथवा परीक्षा संचालन से सम्बद्ध किसी व्यक्ति अथवा प्रश्न-पत्र बनाने वाले परीक्षक तथा अन्य परीक्षक के नाम पूछने के लिए अथवा प्रश्न-पत्र में आने वाले प्रश्न जानने के लिए, अंक देने के लिए, परीक्षक पर प्रभाव डालने के लिए और इस प्रकार परीक्षा कार्य में परीक्षक को अनुचित रूप से प्रभावित करने के लिए सम्पर्क करना और ऐसा प्रयत्न करना।

(ii) प्रश्न-पत्र हल करने में किसी परीक्षार्थी/परीक्षा भवन के अथवा बाहर के किसी व्यक्ति से सहायता लेना तथा हल करने में किसी को सहायता देना।

(iii)(अ) परीक्षा के समय प्रश्न-पत्र से सम्बद्ध कोई कागज, पुस्तक अथवा टिप्पणी आदि अपने पास में रखना।

(आ) दवात के डिब्बे पर, पैमाने पर अथवा ड्राइंग बॉक्स पर अथवा टेबिल जिस पर छात्र बैठा है पर प्रश्न पत्र से सम्बन्धित कुछ लिखित सामग्री प्राप्त होना।

(इ) शरीर के अंग, कपड़ों पर, उत्तर-पुस्तिका के अतिरिक्त कुछ भी प्रश्न-पत्र पर लिखा हुआ होना।

(iv) परीक्षा काल में परीक्षा से सम्बन्धित किसी भी अन्य अनुचित साधन जैसे - इशारे करना, हाव-भाव करना, बात करना, फुसफुसाना आदि का प्रयोग अथवा प्रयोग का प्रयत्न करना।

(v) उत्तर-पुस्तिका की परीक्षा भवन से तस्करी अथवा किसी भी विद्यार्थी के स्थान पर अन्य के द्वारा परीक्षा दिया जाना या सहायता करना।

(vi) परीक्षा में अन्य किसी प्रकार के अनुचित साधन का प्रयोग करना।

2. अनुशासनहीनता पर कार्यवाही की प्रक्रिया (Procedure for dealing with indiscipline)

परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा में प्रयुक्त अनुचित साधनों के मामलों, अनुचित साधनों के प्रयोग की शंका के मामलों में व्यवहार-प्रक्रियाएँ निम्नलिखित होंगी -

(I) उपर्युक्त अनुशासनहीनता की परिभाषा के अनुसार जब किसी परीक्षार्थी पर अनुचित साधन प्रयोग की शंका की जाती है तथा उसे इसमें लिप्त पाया जाता है तो वीक्षक/उड़नदस्ता अथवा केन्द्र अधीक्षक या तो स्वयं उसकी तलाश ले सकेगा अथवा किसी अन्य व्यक्ति से तलाशी का कार्य करा सकेगा। यदि तलाशी के परिणामस्वरूप परीक्षार्थी के पास से लिखित सामग्री मिलती है तो परीक्षार्थी के साथ इन नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

Prof. Pradeep Trikha
Director IQAC
Department of English
MLSU, Udaipur

(ii) ज्यों ही किसी परीक्षार्थी पर शंका होती है, वह अनुचित साधनों का प्रयोग करता पाया जाता है या उसके अनुचित साधनों के प्रयोग पर आमादा होने का प्रतिवेदन मिलता है, तो उसकी उत्तर-पुस्तिका और उससे प्राप्त अनुचित सामग्री ले ली जाएगी और प्रश्न-पत्र के शेष प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए उसे नई उत्तर-पुस्तिका दी जाएगी, परन्तु उपर्युक्त नियम के अन्तर्गत 'अनुचित' आचरण अथवा दुर्व्यवहार के लिए परीक्षा केन्द्र अधीक्षक द्वारा दण्डित किए जाने की दशा में नई उत्तर-पुस्तिका नहीं दी जाएगी। दोनों उत्तर-पुस्तिकाएँ (जिन पर i व ii अंकित होगा) और परीक्षार्थी से प्राप्त सामग्री जहाँ तक सम्भव हो सके परीक्षार्थी के हस्ताक्षर करवाकर और परीक्षा कक्ष-वीक्षक या उड़नदस्ता व केन्द्र अधीक्षक के हस्ताक्षर करवाकर विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक को व्यक्तिगत नाम से भेजी जाएगी। परीक्षार्थी द्वारा हस्ताक्षर करने से इन्कार करने की दशा में इस तथ्य का प्रतिवेदन में उल्लेख किया जाएगा।

(iii) वीक्षक/उड़नदस्ता अपना लिखित प्रतिवेदन देंगे। वीक्षक/उड़नदस्ता के प्रतिवेदन की जानकारी तत्काल परीक्षार्थी को दी जाएगी और उसी स्थान पर उसे अपना लिखित स्पष्टीकरण देने को कहा जाएगा।

(iv) यदि परीक्षार्थी तत्काल अपना मंतव्य लिखने से इंकार करता है या केन्द्र से भाग जाता है तो उसका मामला वीक्षक/उड़नदस्ता और केन्द्र अधीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर विश्वविद्यालय द्वारा निपटाया जाएगा।

(v) केन्द्र-अधीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् परीक्षा नियंत्रक द्वारा निर्धारित प्रारूप में उस प्रश्न-पत्र के परीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त किया जाएगा।

(vi) (अ) परीक्षक का प्रतिवेदन विश्वविद्यालय में प्राप्त होने के पश्चात् इसकी सम्बन्धित सामग्री के साथ एक समुपयुक्त समिति द्वारा जाँच की जाएगी तथा यदि उनके दृष्टिकोण से अनुचित साधनों के प्रयोग का प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है तो वे निर्धारित प्रतिमानों के अन्तर्गत इसके लिए अस्थायी दण्ड निर्धारित करेंगे।

(आ) सम्बन्धित परीक्षार्थी को पंजीयन डाक द्वारा उनके परीक्षा आवेदन-पत्र पर दिए गए पते पर सूचना भेजी जाएगी, जिसमें सूचना प्राप्त होने की तिथि से 15 दिन की अवधि में यह कारण बताने का अवसर दिया जाएगा कि उसे अनुचित साधन प्रयोग करने का दोषी क्यों नहीं माना जाए तथा उसे प्रस्तावित दण्ड क्यों नहीं दिया जाए।

(इ) अनुचित साधन परीक्षण समिति (Unfairmeans Examination Committee) द्वारा परीक्षार्थी के उत्तर पर गौर किया जाएगा। यदि वह निर्धारित अवधि में प्राप्त हो जाता है तथा तत्पश्चात् प्रत्येक मामले में परीक्षार्थी को दिए जाने वाले अन्तिम दण्ड का कुलपति की स्वीकृति पश्चात् आदेश प्रसारित किया जाएगा।

(ई) अनुचित साधन परीक्षण समिति (Unfairmeans Examination Committee) द्वारा सम्पूर्ण मामले की जाँच पश्चात् प्रत्येक मामले में परीक्षार्थी को दिए गए अन्तिम दण्ड के आदेश को विश्वविद्यालय प्रबन्ध मण्डल के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

(उ) जहाँ कारण बताओ सूचना का परीक्षार्थी से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, अनुचित साधन परीक्षण समिति (Unfairmeans examination Committee) द्वारा परीक्षार्थी को दिए जाने वाले दण्ड का प्रस्ताव किया जाएगा।

(vii) किसी भी स्थिति में परीक्षार्थी को अपनी तरफ से विश्वविद्यालय द्वारा की जाने वाली जाँच में किसी वकील को प्रस्तुत करने की आज्ञा नहीं दी जाएगी।

3. दण्ड के प्रतिमान

1. Norms of Punishment

1.1 Where a candidate is found having in his possession or within his reach any material relevant to the syllabus of the Examination paper concerned but has not copied from or used it :

(a)	If the behaviour of the candidate on being caught is satisfactory	Present Examination shall be cancelled, provided that if the material found in possession of the candidate is or insignificant nature, the punishment may be relaxed to the extent of cancellation of the examination of the particular paper (theory or practical) as the case may be and he/she will be treated as having obtained "Zero" mark in that paper with all the consequences to follow. However, if the candidate so desires, he/she will be given the option of appearing in the subsequent whole examination by canceling the present examination as a whole. If the material found in possession of the candidate is of significant nature then present examination of all papers shall be cancelled.

Prof. Pradeep Trikha
Director IQAC
Department of English
MLSU, Udaipur

(b)	If the behaviour of the candidate on being caught is satisfactory	Present examination shall be cancelled and he/she shall be further debarred for one subsequent examination if the examination is held once a year or two subsequent examination if the examination is held twice a year (i.e. Semester Exam.).

1.2 Where a candidate is found to have copied from or used the material caught :

(a)	If the behaviour of the candidate on being caught is satisfactory	Present examination shall be cancelled and he shall be further debarred for one subsequent examination. If the examination is held once a year or two subsequent examination, if the examination is held twice a year (i.e. Semester exam.), provided that if the material found in possession of the candidate and/or the extent of copying done by the candidate is of insignificant nature the punishment may be relaxed to the extent of canceling the present examination only by Unfairmeans Committee.
(b)	If the behaviour of the candidate on being caught is satisfactory	Present examination shall be cancelled and he/she shall be further debarred from appearing at two subsequent examination, if the examination is held once a year or debarred from four subsequent examination, if the examination is held twice a year (i.e. Semester Exam.).

1.3 Where a candidate is found having in his possession or within his reach any restricted electronic equipment, mobile, pager, computer diary etc.

(a)	If the candidate has not made any use of such electronic equipment behaviour of candidate on being caught is satisfactory.	**Candidate's mobile, electronic equipment, pager, computer diary etc. shall be forfeited** and candidate shall be exonerated by issuing warning for the & future.
(b)	If the candidate has made use of it but the behaviour of the candidate on being caught is satisfactory.	**Candidate mobile, electronic equipment, pager, computer diary etc. & shall be forfeited** and only present theory examination shall be cancelled and if the examination is held once a year or two subsequent theory examination if the examination is held twice a year. (i.e. Semester Exam.).
(c)	If the candidate has made use of it but the behaviour of the candidate on being caught is unsatisfactory.	**Candidate's mobile, electronic equipment, pager, computer diary etc. shall be forfeited** and present examination shallbe cancelled and he/she shall be further debarred for one subsequent examination if the examination is held once a year or two subsequent examination if the examination is held twice a year.

1.4	**If the candidate is involved in sacrilegious of University Examination system or involved in any other serious matter related with sacredness of the examination process.**	**Candidate shall be disqualified from appearing or passing in any University Examination for one to three years including the present year of examination depending upon the nature and gravity of the offence.**

Note :

(1) If the candidate uses resistance or violence against the invigilator or any person on examination duty or consistently refuses to obey the instructions of the superintendent, the above punishment may be enhanced according to the gravity of the offence.

Prof. Pradeep Trikha
Director IQAC
Department of English
MLSU, Udaipur

(2) The present examination is cancelled in 1.1 (a & b), 1.2 (a & b), 1.3 (b & c) and 1.4 refers to cancellation of only theory papers. However, if a candidate has offered dissertation/viva/voce/field work in lieu of any paper and the sessional work (marks)/internal assessment worki (marks) / practical work (marks) will not be cancelled in case the whole examination is cancelled. However, if unfairmeans case is reported during practical examination 1.1 (a) would refer to that particular practical examination only. In case of 1.2 a and b and c & 1.4 theory as well as practical examinations both shall be cancelled.

(3) After completion of punishment period, if the candidate is reappearing in the subsequent examination, he/she shall have to appear according to the existing scheme as well as syllabus of the class/course. In case scheme of subject/course paper etc. changed, the candidate exempted to appear in sessional examination and obtained theory paper marks will be proportionate out of the maximum marks of that paper (theory + sessional).

1.5 Where a candidate is appearing simultaneously in two examinations, the examination in which he/she has been found using unfairmeans will be cancelled, and he/she shall not be allowed to appear in any examination of the University during the period for which he/she is debarred.

1.6 The cases of employee candidates, indulging in unfairmeans and resorting to violence and misbehaviour, will be reported to the officers of the department concerned besides the punishment provided under the rules. All such cases of misconduct will be reported to the University forth with for action by the Centre Superintendent on the prescribed from for departmental action.

1.7 Notwithstanding the provisions regarding punishment provided in clause (3) above, the Superintendent of the Centre is empowered to expel a candidate from the examination hall in case of misconduct or misbehaviour as defined above.

1.8 Cases not covered under any of the above categories will be decided by the appropriate commiteee on their merit.

2. Norms related with tempering in University document & etc.

2(अ) परीक्षा तथा महाविद्यालयों में प्रवेश से सम्बन्धित अनुशासन में निम्नलिखित कार्यों को भी अनुचित साधनों का प्रयोग समझा जाएगा –

1. आवेदन पत्र में असत्य विवरण देकर या झूठे प्रलेख प्रस्तुत करके या ऐसे ही अन्य साधनों द्वारा किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश पाना अथवा परीक्षा में प्रवेश पाना।
2. अभ्यर्थी द्वारा विश्वविद्यालय अथवा अन्य किसी समकक्ष संस्था द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र अथवा अंक तालिका अथवा किसी अन्य प्रलेख में की गई प्रविष्टि में हेर-फेर अथवा परिवर्तन करना।
3. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाण पत्र/अंकतालिका इत्यादि की फोटो प्रति/प्रतिलिपि/ फोटोस्टेट प्रति में की गई प्रविष्टि में हेर-फेर अथवा परिवर्तन करना।

2 (ब) कार्रवाई की प्रक्रिया :

1. अभ्यर्थी द्वारा उपर्युक्त वर्णित अनुचित साधनों के मामलों में व्यवहार प्रक्रियाएँ विश्वविद्यालय विवरणिका में प्रकाशित ''अनुशासनहीनता पर कार्रवाई की प्रक्रिया'' के अनुसार होगी।
2. महाविद्यालय स्तर पर पाए जाने वाले मामलों की अधिष्ठाता/प्राचार्य/निदेशक द्वारा एक समुपयुक्त समिति द्वारा जाँच करवाई जाएगी तथा यदि उनके दृष्टिकोण में उपर्युक्त अनुचित साधनों के प्रयोग का प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है तो सम्बन्धित सभी दस्तावेजों के साथ मामलों को परीक्षा नियंत्रक को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा जाएगा।

2 (स) दण्ड के मानक / प्रतिमान : अनुचित साधन परीक्षण समिति द्वारा दण्ड प्रधान करने के लिए निम्नानुसार मानक निर्धारित किए जाते हैं –

1. यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन पत्र में असत्य विवरण देकर या झूठे प्रलेख प्रस्तुत कर या ऐसे अन्य साधनों का प्रयोग कर महाविद्यालय में नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश पाने का दोषी पाया जाए तो उसका प्रवेश निरस्त कर विश्वविद्यालय की उस वर्ष की किसी भी परीक्षा और आगामी दो वर्षों तक के लिए किसी भी परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया जाए।
2. यदि कोई परीक्षार्थी आवेदन पत्र में असत्य विवरण देकर या झूठे प्रलेख प्रस्तुत कर या ऐसे अन्य साधनों का प्रयोग कर परीक्षा में प्रवेश पाने का दोषी पाया जाए तो उसकी उस वर्ष की परीक्षा निरस्त कर उस प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए उसे आगामी दो वर्षों तक के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया जाए।

Prof. Pradeep Trikha
Director IQAC
Department of English
MLSU, Udaipur

3. यदि किसी भी छात्र/छात्रा द्वारा उपर्युक्त (अ) 1, 2 अथवा 3 की कार्रवाई किसी भी प्रकार के लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई है या लाभ प्राप्त कर लिया हो या लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयास किया गया हो तो सम्बन्धित छात्र/छात्रा की सम्बन्धित परीक्षा को निरस्त कर विश्वविद्यालय की आगामी एक वर्ष के लिए किसी भी परीक्षा प्रविष्ट होने से वंचित कर दिया जाए। साथ ही यदि छात्र/छात्रा द्वारा उसका लाभ लेते हुए आगे की कक्षाओं की परीक्षाएँ भी उत्तीर्ण कर ली गई हों तो उन्हें भी निरस्त कर विश्वविद्यालय की आगामी एक वर्ष के लिए किसी भी परीक्षा में प्रविष्ट होने से वंचित कर दिया जाए।

4. कोई भी अभ्यर्थी अपनी अंक तालिका में नाम आदि के भाग को किसी अन्य छात्र/छात्रा की अंक तालिका में प्राप्तांक वाले भाग में चिपकाने पर अथवा इस प्रकार की प्रमाण पत्र/अंक तालिका की फोटो प्रति/फोटो स्टेट/प्रतिलिपि प्रस्तुत करने पर सम्बन्धित छात्र/छात्रा की सम्बन्धित परीक्षा को निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही यदि उस छात्र ने इसका लाभ लेते हुए आगे की कक्षाओं की परीक्षाएँ भी उत्तीर्ण कर ली गई हैं तो उन्हें भी निरस्त कर विश्वविद्यालय की आगामी दो वर्षों के लिए किसी भी परीक्षा में प्रविष्ट होने से वंचित कर दिया जाएगा।

5. अभ्यर्थी ने विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रवेश पाने की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी है तब उसका प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा, जिसे परीक्षा केन्द्राध्यक्ष को दिखाने पर उस अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। परन्तु इसी दौरान यह पता चलता है कि अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ झूठे प्रलेख अथवा अंक तालिका इत्यादि प्रस्तुत कर गलत तरीके से परीक्षा में बैठने का प्रयास किया गया है तो संबंधित अभ्यर्थी से सम्बन्धित मूल प्रमाण पत्र अथवा अंक तालिकाएँ विश्वविद्यालय परीक्षा विभाग अथवा महाविद्यालय अधिष्ठाता/प्राचार्य/निदेशक के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा जाएगा। यदि अभ्यर्थी मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं हो रहा है अथवा बहानेबाजी कर रहा है, तो उसे बचे हुए प्रश्न पत्रों की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा इसके पश्चात् सम्पूर्ण प्रकरण अनुचित साधन परीक्षण समिति में रखकर वांछित निर्णय किया जाएगा।

6. विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रविष्ट होकर उत्तीर्ण घोषित छात्रों में से किसी के सम्बन्ध में यदि परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कभी भी यह जानकारी प्राप्त हो कि छात्र ने उक्त परीक्षा में प्रवेश असत्य विवरण देकर, तथ्य छिपाकर या प्रविष्टियं ों में परिवर्तन कर प्राप्त किया था या वह किसी आधार पर उक्त परीक्षा के योग्य नहीं था तो उसकी परीक्षा अथवा परीक्षाएँ निरस्त करने और/या उस मामले के गुण दोषों के आधार पर अन्य दण्ड देने पर भी विचार किया जा सकेगा।

7. उपर्युक्त से सम्बन्धित गम्भीर प्रकरणों में दोषी अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय की भविष्य में होने वाली किसी भी परीक्षा में बैठने से समिति द्वारा वंचित किया जा सकेगा।

8. उपर्युक्त श्रेणियों में से किसी में भी आने वाले मामलों को अनुचित साधन परीक्षण समिति (Unfairmeans Examination Committee) द्वारा उनके गुण-दोषों के आधार पर निर्णय लेकर निपटाया जाएगा या सम्बन्धित प्राधिकारियों को सौंपा जाएगा तथा गम्भीर मामलों में पुलिस कार्रवाई हेतु भी सम्बन्धित प्राधिकारियों को निर्देशित किया जा सकेगा। साथ ही यदि प्रकरण में विश्वविद्यालय द्वारा पुलिस कार्रवाई की जानी है तो वह विश्वविद्यालय कुलसचिव/महाविद्यालय अधिष्ठाता स्तर से की जा सकेगी।

Additional Provision for Dealing with the cases of Using Unfairmeans during the Examination

In addition to the provisions laid down from Page No. 61 to 68 to deal with cases of unfairmeans during the examination by the University, such candidates will also be dealt with additionally in pursuance of the Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfairmeans) Act, 1992 which is reproduced below.

THE RAJASTHAN PUBLIC EXAMINATION (PREVENTION OF UNFAIR MEANS) ACT, 1992

(Received the assent of The Governor on the 8th day of November, 1992)

An

Act

to prevent the leakage of question papers and use of unfairmeans of Public Examinations and to provide for matter connected there with the incidental thereto.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Forty-third Year of the Republic of India as follows :

1. **Short title, extent and commencement :**

(1) This Act may be called the Rajasthan Public Examination (Prevention of Unfairmeans) Act, 1992.

Prof. Pradeep Trikha
Director IQAC
Department of English
MLSU, Udaipur

(2) It shall extend to the whole of the State of Rajasthan.

(3) It shall come into force at once.

2. **Definitions** - In the Act -

(a) "examination centre" means any place fixed for holding public examination and includes the entire premises attached thereto.

(b) "public examination" means any examination specified in the schedule.

(c) "unfairmeans" in relation to an examination while answering question in a public examination, means the unauthorised help from any person, or from any material written, recorded or printed, in any form whatsoever or the use of any unauthorised telephone, wireless or electronic or other instrument or gadget; and

(d) the words and expression used herein and not defined in the Indian Penal Code (45 of 1960) have the meaning, respectively assigned to then in that code.

3. **Prohibition to use of Unfairmeans :** No person shall use unfairmeans at any public examination.

4. **Unauthorised possession or disclosure of question paper :** No person who is not lawfully authorised or permitted by virtue of his duties so to do shall before the time fixed for distribution of question papers to examinees at a public examination.

(a) procedure or attempt to procure of possess, such question paper or any portion or copy thereof; or

(b) impart or offer to impart, information which he knows or has reason to believe to be related to or derived from or to have a beating upon such question paper.

5. **Prevention of Leakage by person entrusted with examination work :** No person who is entrusted with any work pertaining to public examination shall, except where he is permitted by virtue of his duties so to do directly or indirectly divulge or cause to be divulged or make known to any other person any information or part thereof which has come to his knowledge by virtue of the work being so entrusted to him.

6. **Penalty :** Whoever contravenes or attempts to contravene or abets the contravention of the provisions of section 3 or section 4 or section 5, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years of with fine which may extend to two thousand rupees or with both.

7. **Penalty for offence with preparation to cause hurt :** Whoever commits an offence punishable under section 6 having made preparation for, causing death of any person or causing hurt to any person or assaulting any person or for putting any person in fear of death or hurt or assault or wrongful restraint shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three years and shall also be liable to fine which may extend to five thousand rupees.

8. **Power to amend Schedule :** The Statement Government may be notification in the Official Gazette, include in the Schedule any other public examination in respecft of which it considers necessary to apply the provision of this Act and upon the publication in the Official Gazette the Schedule shall be deemed to have amended accordingly.

The Schedule

(Section 2)

1. Any examination conducted by the Board of Secondary Education of Rajasthan under the Rajasthan Secondary Examination Act, (Act No.42 of 1957).
2. Any examination conducted by any University established by law in India.
3. Any examination conducted by the Rajasthan Public Service Commissions or Union Public Service Commission.

J.P. Bansal

Secretary to the Government

Prof. Pradeep Trikha
Director IQAC
Department of English
MLSU, Udaipur

Ph. 0294-2470143, Uni.Fax.0294-2471150

UNIVERSITY COLLEGE OF SOCIAL SCIENCES & HUMANITIES

MOHANLAL SUKHADIA UNIVERSITY, UDAIPUR (Raj.)

Disciplinary and Anti Ragging समिति

बैठक दिनांक 03.08.2022 **दोपहर 01:00 बजे**

1. Prof. Neeraj Sharma Convener
2. Prof. Digvijay Bhatnagar Member
3. Dr. Suresh Salvi Member
4. Dr. G.L. Patidar Member
5. Dr. P. S. Rajput Member (Proctor)
6. Dr. Balu Dan Barahth Member
7. Mrs. Snehlata Tailor Member
8. Dr. Satish Chand Member
9. Dr. Raj Kumari Ahir Member

Prof. Pradeep Trikha
Director IQAC
Department of English
MLSU, Udaipur

// UNIVERSITY COLLEGE OF SCIENCE
विश्वविद्यालय विज्ञान महाविद्यालय
महाराणा भूपाल केम्पस
MOHANLAL SUKHADIA UNIVERSITY, UDAIPUR – 313 001
मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर – 313 001

Prof. C.P.Jain
Dean, University College of Science
& Chairman Faculty of Science

Tel Fax.: + 91-294-2423191
Mobile: + 91- 9414684354

No. UCS/S.S./2022/ 528 Date 15.09.2022

OFFICE-ORDER

Discipline & Anti-ragging Committee

A Discipline & Anti-ragging Committee of the following members is hereby constituted for maintaining day to day discipline in college campus for the session 2022-23. 2023-24

Timining 10.00 am to 11.30 12.00 a.m.

1. Dr. Ghanshyam Purohit — Coordinator
2. Dr.Nitin Kumar — Member
3. Dr. Tripta Jain — Member
4. Dr. Siddarth Sharma — Member
5. Dr. Lekhraj Meena — Member
6. Dr. Devendra Kumar Goyal — Member
7. ~~Dr. Surendera Singh Chouhan~~ Mahesh Puri — Member

Timining 11.30 am to 1.00 p.m.

1. Prof. Sudhish Kumar — Coordinator
2. Dr. D.K.Yadav Dr Vineet Soni — Member
3. Dr. Dinesh Pandey Dr Asaram — Member
4. Dr. P.S.Ranawat — Member
5. ~~Dr. Maya Choudhary~~ — Member
6. ~~Dr. Mahesh Puri Goswami~~ — Member
7. Dr. Devendra Singh — Member

Gunjan Arora

DEAN

Dean
University College of Science
M.L. Sukhadia University
UDAIPUR

DEAN

Copy to the following for information-

1- The Head, Department of __________
2- Person concerned

MINUTES OF THE MEETING

A meeting of Anti-ragging and discipline committee was held on 15.09.2022 into the chamber of the Dean to discuss the measures to be taken mention discipline in the campus and following decisions were made:

1. Committee is divided to two groups. Group-I will look after discipline from 10.00 a.m. to 11:30 a.m. and Group-II will look after discipline from 11.30 a.m. to 1.00 p.m.

2. In campus flex will be placed at suitable place mentioning I-Card compulsory, CCTV Surveillance and disciplinary action for outsiders

➢ The following members are present in the chamber of the Dean.

1.	Prof. Sudhish Kumar	Coordinator (Group-I)
2.	Dr. Ghanshyam Purohit	Coordinator (Group-II)
3.	Dr.Nitin Kumar	Member
4.	Dr. Tripta Jain	Member
5.	Dr. Siddarth Sharma	Member
6.	Dr. Lekhraj Meena	Member
7.	Dr. Devendra Kumar Goyal	Member
8.	Dr. D.K.Yadav	Member
9.	Dr. Dinesh Pandey	Member
10.	Dr. P.S.Ranawat	Member
11.	Dr. Maya Choudhary	Member
12.	Dr. Mahesh Puri Goswami	Member
13.	Dr. Devendra Singh	Member
14.	Dr. S.K. Gandhi	ADSW
15.	Dr. P.K. Baroliya	Proctor
16.	Dr. Surendera Singh Chouhan	Member

15/9/22
DEAN

Dean
University College of Science
M.L. Sukhadia University
UDAIPUR

UNIVERSITY COLLEGE OF SCIENCE

Mohanlal Sukhadia University, Udaipur 313 001

Prof. C.P. Jain
Dean & Faculty Chairman
University College of Science

Telfax : (0294) 2413955
E-mail : ucs@mlsu.ac.in
Mobile. 9414684354

No. UCOS/SS/2022-23/5181

Date : 02.08.2022

OFFICE ORDER

A Proctorial board cum Anti- Ragging Committee of following members is here by constituted for maintaining day to day discipline in the College Campus.

1. Prof. Sudhish Kumar	Coordinatior
2. Dr. Ghanshyam Purohit	Associate Coddinator
3. Dr. D.K. Yadav	Member
4. Dr. Dinesh Pandey	Member
5. Dr. Nitin Kumar	Member
6. Dr. Deepak Choudhary	Member
7. Dr. Mangi Lal Chouhan	Member
6. Dr. P.S. Ranawat	Member
7. Dr. Tripta Jain	Member
8. Dr. Tikam Chand Dakal	Member
9. Dr. Maya Choudhary	Member
10. Dr. Siddarth Sharma	Member
11. Mr. Lekhraj Meena	Member
12. Dr. Mahesh Puri Goswami	Member
13. Dr. Devendra Kumar Goyal	Member
14. Dr. Devendra Singh	Member
15. Dr. Surendra Singh Chouhan	Member
16. Dr. S.K.Gandhi	ADSW
17. Dr. P.K. Baroliya	Proctor

DEAN

Copy forwarded to the following for information and requested to exempt the above staff members from any other assignment :

1. The P.S. to Hon'ble V.C., M.L.S.U, Udaipur
2. The Registrar, M.L.S.U., Udaipur
3. The Head, Department of ____________________
4. Person Concerned

DEAN

DEAN
University College of Science
Maharana Bhupal Campus
Mohanlal Sukhadia University, Udaipur

UNIVERSITY COLLEGE OF SCIENCE

Mohanlal Sukhadia University, Udaipur 313 001

Prof. C.P. Jain
Dean & Faculty Chairman
University College of Science

Telfax : (0294) 2413955
E-mail : ucs@mlsu.ac.in
Mobile. 9414684354

No. UCOS/SS/2022-23/518 Date : 02.08.2022

OFFICE ORDER

A Proctorial board cum Anti- Ragging Committee of following members is here by constituted for maintaining day to day discipline in the College Campus.

1. Prof. Sudhish Kumar	Coordinatior
2. Dr. Ghanshyam Purohit	Associate Coddinator
3. Dr. D.K. Yadav	Member
4. Dr. Dinesh Pandey	Member
5. Dr. Nitin Kumar	Member
6. Dr. Deepak Choudhary	Member
7. Dr. Mangi Lal Chouhan	Member
6. Dr. P.S. Ranawat	Member
7. Dr. Tripta Jain	Member
8. Dr. Tikam Chand Dakal	Member
9. Dr. Maya Choudhary	Member
10. Dr. Siddarth Sharma	Member
11. Mr. Lekhraj Meena	Member
12. Dr. Mahesh Puri Goswami	Member
13. Dr. Devendra Kumar Goyal	Member
14. Dr. Devendra Singh	Member
15. Dr. Surendra Singh Chouhan	Member
16. Dr. S.K.Gandhi	ADSW
17. Dr. P.K. Baroliya	Proctor

DEAN

Copy forwarded to the following for information and requested to exempt the above staff members from any other assignment :

1. The P.S. to Hon'ble V.C., M.L.S.U, Udaipur
2. The Registrar, M.L.S.U., Udaipur
3. The Head, Department of ______________________
4. Person Concerned

DEAN

DEAN
University College of Science
Maharana Bhupal Campus

UNIVERSITY COLLEGE OF SCIENCE

विश्वविद्यालय विज्ञान महाविद्यालय
महाराणा भूपाल केम्पस
MOHANLAL SUKHADIA UNIVERSITY, UDAIPUR – 313 001
मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर – 313 001

Prof. Kanika Sharma
Dean, University College of Science

Tel Fax.: + 91-294-2423191
Mobile: + 91- 98288 88868

No. UCOS/Gen/ 2020/ 130 Dated 07.12.2020

ORDER

A Proctoral board cum Anti Regaging Committee of following members is hereby constituted for maintaining day to day discipline in the College.

1. Prof. Sudhish Kumar	Coordinator
2. Prof. Atul Tyagi	Associate Coodinator
3. Dr. S.K.Gandhi	Member
4. Dr. P.S.Ranawat	Member
5. Dr. D.K.Yadav	Member
6. Dr. Dinesh Pandey	Member
7. Dr. Deepak Choudhary	Member
8. Dr. Shikha Agarwal	Member
9. Dr. Ajit Bhabor	Member
10. Dr. Sunita Panchawat	Member
11. Dr. Juhi Pradhan	Member
12. Dr. Tripta Jain	Member
13. Dr. Tikam Chand	Member
14. Dr. Bharat kumar Yadav	Member
15. Dr. Asha Ram Meena	Member
16. Dr. Maya Choudhary	Member
17. Dr. Siddarth Sharma	Member
18. Dr. Anjali Singh	Member
19. Dr. Avinash Marwal.	Member

DEAN
University College of Science
MLSU, Udaipur

Copy to the following for information-

1. The P.S. to Hon'ble V.C. M.L.S.U., Udaipur
2. The Registrar, M.L.S.U., Udaipur
3. The Head, Department of ______________
4. Person concerned

DEAN
University College of Science
MLSU, Udaipur

(13)

No.F.85./ Gen/MLSU/2018/ 3600

Dated: 13.07.2018

ORDER

The Vice Chancellor is pleased to constitute a Proctorial Board consisting of the following members to maintain decipline in the University and Constitutent Colleges for the academe session 2018-19.

1.	Prof. C.R. Suthar	Chairman
2.	Prof. Pradeep Trikha(UCSSH)	Member
3.	Prof. Hanuman Prasad (FMS)	Member
4.	Prof. Sudeesh Kumar (UCS)	Member
5.	Dr. Naveen Nandwana (UCSSH)	Member
6.	Dr. Juhi Pradhan (Pharmacy)	Member
7.	Dr. Anuya Verma (Env. Sci.)	Member
8.	Dr. Mukesh Kumar Meena (Pharmacy)	Member
9.	Dr. Shelendra Singh (UCCMS)	Member
10.	Dr. Kailash Gurjar (UCSSH) History	Member
11.	Dr. Baludan , Pol. Science (UCSSH)	Member
12.	Dr. Garima Mishra, Chemistry, (UCS)	Member
13.	Dr. Vijaya Dixit,	Member
14.	Dr. Kopal Vats	Member
15.	Dr. Anjali Singh	Member
16.	Dr. Bheem Raj Patel(USB)	Member
17.	Dr. Hemraj Choudhary (USB)	Member

REGISTRAR

Copy to the following for information and necessary action:-

1. All Deans of Colleges, UCS/ UCCMS/ UCSSH, UCLaw, Udaipur
2. The Dean, PG Studies/ DSW/ Director, F.M.S. / Chairman, University Sports Board/ Chief Warden, University Hostels/ UE, MLSU, Udaipur
3. All member concerned.
4. The Comptorllor /Controller of Exams/ Sr. A.O.
5. All Heads of University Departments________________
6. P.S. to Vice Chancellor /Addl. P.S. to Registrar.
7. Incharge, Internet Centre, Udaipur

Student Section
Proctor
16/7/18

DY. REGISTRAR
dcr

ASSISTANT DEAN OF STUDENT WELFARE
UNIVERSITY COLLEGE OF SCIENCE
Mohanlal Sukhadia University, Udaipur 313 001

No. UCS/ADSW/2018/ 3116. Date: 20-07-2018

OFFICE-ORDER

2:00 PM 26/7/2018

Discipline & Anti-ragging Committee

A Discipline & Anti-ragging Committee of the following members is hereby constituted for the session 2018-19 to maintain discipline and prevent ragging in the college campus. The members of the Committee are requested to meet regularly and take round in the campus.

1-	Prof. B. R. Bamaniya	Chairman
2-	Prof. Atul Tyagi	Member
3-	Prof. L. S. Chauhan 9799452376	Member
4-	Prof. M.S.Dhaka 9414491729	Member
5-	Prof. Rajesh Dubey	Member
6-	Dr. Jyoti Choudhary 9828626594	Member
7-	Dr. Rakeshwar Purohit	Member
8-	Dr. Nitin Kumar 9024570015 out of station	Member
9-	Dr. Ajit Bhabhor	Member
10-	Dr. Amit Kumar Gupta 9414004369	Member
11-	Dr. Deepak Choudhary 9413878441	Member
12-	Dr. Pradhuman Singh Ranawat 9414621487	Member
13-	Dr. Girima Nagda – Zool	Member
14-	Dr. Anjali Singh – 9532040387	Member
15-	Dr. Ankush –	Member
16-	Dr. Namita Singh – Micro	Member
17-	Mr. Lekhraj Meena – Phy 9602832893	Member
18-	Dr. Pradeep Vishvakarma – Maths	Member
19-	Dr. Vipin Khokhar – Che	Member
20-	Dr. Rama Kanwar Khangarot – Che	Member
21-	Dr. Surendra Singh Chouhan (Sports)	Member
22-	Dr. Harish	Proctor
23-	Dr. D. S. Rathore	ADSW

The members of the Committee from Departments of Pharmacy, Biotechnology, Environmental Sciences, Geology and Computer Science will also look after their respective departments/units which are situated outside of University College of Science campus.

It may be noted that ~~a~~ first meeting of this committee will be held in the chamber of the under-signed at 11.00 AM on 23.07.2018 (Monday).

DEAN

Copy forwarded to the following for information:

1- The P.S. to Hon'ble V.C., M. L. S. U., Udaipur
2- The Registrar, M. L. S. U., Udaipur
3- The Dean Students Welfare, M. L. S. U., Udaipur
4- The Head, Department of ______________________
5- Person concerned.

DEAN

ASSISTANT DEAN OF STUDENT WELFARE
UNIVERSITY COLLEGE OF SCIENCE
Mohanlal Sukhadia University, Udaipur 313 001

No. UCS/ADSW/2018/316   Date: 20-07-2018

OFFICE-ORDER

2:00 PM
26/7/2018

Discipline & Anti-ragging Committee

A Discipline & Anti-ragging Committee of the following members is hereby constituted for the session 2018-19 to maintain discipline and prevent ragging in the college campus. The members of the Committee are requested to meet regularly and take round in the campus.

1-	Prof. B. R. Bamaniya	Chairman
2-	Prof. Atul Tyagi	Member
3-	Prof. L. S. Chauhan 9799452376	Member
4-	Prof. M.S.Dhaka 9414491729	Member
5-	Prof. Rajesh Dubey	Member
6-	Dr. Jyoti Choudhary 9828626594	Member
7-	Dr. Rakeshwar Purohit	Member
8-	Dr. Nitin Kumar 9024570015 out of station	Member
9-	Dr. Ajit Bhabhor	Member
10-	Dr. Amit Kumar Gupta 9414004369	Member
11-	Dr. Deepak Choudhary 9413878441	Member
12-	Dr. Pradhuman Singh Ranawat 9414621487	Member
13-	Dr. Girima Nagda – Zoo	Member
14-	Dr. Anjali Singh – 9532040387	Member
15-	Dr. Ankush —	Member
16-	Dr. Namita Singh – Micro	Member
17-	Mr. Lekhraj Meena – Phy 9602832893	Member
18-	Dr. Pradeep Vishvakarma – Maths	Member
19-	Dr. Vipin Khokhar – Che	Member
20-	Dr. Rama Kanwar Khangarot – Che	Member
21-	Dr. Surendra Singh Chouhan (Sports)	Member
22-	Dr. Harish	Proctor
23-	Dr. D. S. Rathore	ADSW

The members of the Committee from Departments of Pharmacy, Biotechnology, Environmental Sciences, Geology and Computer Science will also look after their respective departments/units which are situated outside of University College of Science campus.

It may be noted that first a meeting of this committee will be held in the chamber of the under-signed at 11.00 AM on 23.07.2018 (Monday).

DEAN

Copy forwarded to the following for information:

1- The P.S. to Hon'ble V.C., M. L. S. U., Udaipur
2- The Registrar, M. L. S. U., Udaipur
3- The Dean Students Welfare, M. L. S. U., Udaipur
4- The Head, Department of ____________
5- Person concerned.

DEAN

ASSISTANT DEAN OF STUDENT WELFARE
UNIVERSITY COLLEGE OF SCIENCE
Mohanlal Sukhadia University, Udaipur 313 001

No. UCS/ADSW/2018/3/16 Date: 20-07-2018

OFFICE-ORDER

2:00 PM 26/7/2018

Discipline & Anti-ragging Committee

A Discipline & Anti-ragging Committee of the following members is hereby constituted for the session 2018-19 to maintain discipline and prevent ragging in the college campus. The members of the Committee are requested to meet regularly and take round in the campus.

1-	Prof. B. R. Bamaniya	Chairman
2-	Prof. Atul Tyagi	Member
3-	Prof. L. S. Chauhan 9799452376	Member
4-	Prof. M.S.Dhaka 9414491729	Member
5-	Prof. Rajesh Dubey	Member
6-	Dr. Jyoti Choudhary 9828626594	Member
7-	Dr. Rakeshwar Purohit	Member
8-	Dr. Nitin Kumar 9024570015	Member
9-	Dr. Ajit Bhabhor	Member
10-	Dr. Amit Kumar Gupta 9414004369	Member
11-	Dr. Deepak Choudhary 9413878441	Member
12-	Dr. Pradhuman Singh Ranawat 9414621487	Member
13-	Dr. Girima Nagda – Zool	Member
14-	Dr. Anjali Singh – 9532040387	Member
15-	Dr. Ankush —	Member
16-	Dr. Namita Singh — Micro	Member
17-	Mr. Lekhraj Meena – Phy 9602839893	Member
18-	Dr. Pradeep Vishvakarma – Maths	Member
19-	Dr. Vipin Khokhar — Che	Member
20-	Dr. Rama Kanwar Khangarot — Che	Member
21-	Dr. Surendra Singh Chouhan (Sports)	Member
22-	Dr. Harish	Proctor
23-	Dr. D. S. Rathore	ADSW

The members of the Committee from Departments of Pharmacy, Biotechnology, Environmental Sciences, Geology and Computer Science will also look after their respective departments/units which are situated outside of University College of Science campus.

It may be noted that a meeting of this committee will be held in the chamber of the under-signed at 11.00 AM on 23.07.2018 (Monday).

DEAN

Copy forwarded to the following for information:

1- The P.S. to Hon'ble V.C., M. L. S. U., Udaipur
2- The Registrar, M. L. S. U., Udaipur
3- The Dean Students Welfare, M. L. S. U., Udaipur
4- The Head, Department of ____________________
5- Person concerned.

DEAN

(13)

UNIVERSITY COLLEGE OF SCIENCE

Mohanlal Sukhadia University, Udaipur 313 001

Prof. B. L. Ahuja
DEAN

No. UCS/SS./2017/162

Date 20.09.2017

OFFICE ORDER

Following teachers are hereby requested to remain present for discipline and events judgment purpose during freshers party being organized in the evening of 20-09-2017 by student union 2017 of University College of Science :

1. Prof. B. M. Vyas
2. Prof. Sudish Kumar
3. Prof. Atul Tyagi
4. Prof. L. S. Chouhan
5. Prof. M. S. Dhaka
6. Dr. Rakeshwar Purohit
7. Dr. Anuya Verma
8. Dr. Jaya Arora
9. Dr. Sunita Panchawat
10. Dr. Joohee Pradhan
11. Dr. Vijay Kohli
12. Dr. Asha Ram Meena
13. Dr. Deepak Choudhary
14. Dr. Mukesh Meena
15. Dr. Saurabh Sinha

DEAN

DEAN
University College of Science
Maharana Bhupal Campus
Mohanlal Sukhadia University, Udaipur

Prof. B. L. Ahuja
DEAN

UNIVERSITY COLLEGE OF SCIENCE

Mohanlal Sukhadia University, Udaipur 313 001

(15)

No. UCS/SS./2017/162 Date 20.09.2017

OFFICE ORDER

Following teachers are hereby requested to remain present for discipline and events judgment purpose during freshers party being organized in the evening of 20-09-2017 by student union 2017 of University College of Science :

1. Prof. B. M. Vyas
2. Prof. Sudish Kumar
3. Prof. Atul Tyagi
4. Prof. L. S. Chouhan
5. Prof. M. S. Dhaka
6. Dr. Rakeshwar Purohit
7. Dr. Anuya Verma
8. Dr. Jaya Arora
9. Dr. Sunita Panchawat
10. Dr. Joohee Pradhan
11. Dr. Vijay Kohli
12. Dr. Asha Ram Meena
13. Dr. Deepak Choudhary
14. Dr. Mukesh Meena
15. Dr. Saurabh Sinha

DEAN
University College of Science

13

UNIVERSITY COLLEGE OF SCIENCE

विश्वविद्यालय विज्ञान महाविद्यालय

महाराणा भूपाल केम्पस

MOHANLAL SUKHADIA UNIVERSITY, UDAIPUR – 313 001

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर – 313 001

Prof. B.L. Ahuja
Dean, University College of Science
Chairman, Faculty of Science

Tel Fax.: + 91-294-2423191
Mobile: + 91- 94143 17048

No. UCOS/SS/ 2017/145

Dated 31.07.2017

ORDER

A discipline & Anti – ragging committee of the following members is hereby constituted for a session 2017-18 to maintain discipline and prevent ragging in the college campus. The members of a committee are requested to meet regularly and take round in tha campus.

1.	Prof. B.R. Bamniya	Chairman
2.	Prof. B.M.Vyas.	Member
3.	Prof. Sudhish Kumar	Member
4.	Prof. Atul Tyagi	Member
5.	Dr. Jyoti Choudhary	Member
6.	Dr. Rakshwar Purohit	Member
7.	Dr. Nitin Kumar	Member
8.	Dr. Ajit Bhabhor	Member
9.	Dr. Dinesh pandey	Member
10.	Dr. Vijay Koli	Member
11.	Dr. Chetna Ameta	Member
12.	Dr. Neetu Kumari	Member
13.	Dr. Dinesh Yadav	Member
14.	Dr. Joohee Pradhan	Member
15.	Dr. Anuya Verma	Member
16.	Dr. Rohini Trivedi	Member
17.	Dr. Asha Ram Meena	Member
18.	Dr. Deepak Choudhary	Member
19.	Dr. Surendra Singh Chouhan	Member
20.	Dr. Vineet Soni	Member
21.	Dr. P.S.Rajput	Member
22.	Dr. Harish, Proctor	Member
23.	Dr. D.S.Rathore, ADSW	Member

DEAN

DEAN
College of Science
M. L. Sukhadia University
UDAIPUR

Copy to the following for information-

1. The P.S. to Hon'ble V.C. M.L.S.U., Udaipur
2. The Registrar, M.L.S.U., Udaipur
3. The Dean, Student welfare, M.L.S.U., Udaipur
4. The Head, Department of ______________
5. Person concerned

DEAN

DEAN
College of Science
M. L. Sukhadia University
UDAIPUR

1	P.S. to vice chancellor	1	[illegible] 1/8/17
2	Registrar	1	[illegible]
3	DSW	1	[illegible] 1/8/17
4	Library	1	[illegible]
5	Zoology	2	[illegible]
6	Botany	3	[illegible] 1/8/17
7	chemistry	4	[illegible] 1.8.17
8	Poly. Sc.	1	Sudha
9	Maths	3	[illegible] 01-08-2017
10	Physics	2	[illegible]
11	Env. Sc.	3	[illegible]
12	Pharmacy	~~3~~ 2	[illegible]

प्रथम सूचना

क्रम संख्या : 429

13

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर
MOHANLAL SUKHADIA UNIVERSITY : UDAIPUR
NAAC ACCREDITED 'A' GRADE STATE UNIVERSITY

No.F.85./ Gen/MLSU/2017/ 2558

Dated: 02.06.2017

ORDER

The Vice Chancellor is pleased to constitute a Proctorial Board consisting of the following members to maintain decipline in the University and Constitutent Colleges for the academe session 2017-18.

1.	Prof. I.M. Kayamkhani	Chairman
2.	Prof. P.K. Singh (UCCMS)	Member
3.	Prof. S.K. Katariya (UCSSH)	Member
4.	Prof. Sudhish Kumar (COS)	Member
5.	Prof. Atul Tyagi (COS)	Member
6.	Dr. Shilpa Seth (COL)	Member
7.	Dr. Harshada Joshi (COS)	Member
8.	Dr. Vineet Soni (COS)	Member
9.	Dr. Raj Kumar Vyas(UCSSH)	Member
10.	Dr. Shilpa Vardia (UCCMS)	Member
11.	Dr. Sangeeta Athwal (UCSSH)	Member
12.	Dr. Deependra Singh Chouhan(USB)	Member

REGISTRAR

Copy to the following for information and necessary action:-

1. All Deans of Colleges, UCS/ UCCMS/ UCSSH, UCLaw, Udaipur
2. The Dean, PG Studies/ DSW/ Director, F.M.S. / Chairman, University Sports Board/ Chief Warden, University Hostels/ UE,
3. All member concerned.
4. The Comptorllor /Controller of Exams/ Sr. A.O.
5. All Heads of University Departments
6. P.S. to Vice Chancellor /Addl. P.S. to Registrar.
7. Incharge, Internet Centre, Udaipur

DY. REGISTRAR 2/6

Copy to:
1. Associate Dean, UCoS
2. Proctor
3. ADSW
4. Student Section
5. Suchna Prakash

5/6/2017

UNIVERSITY COLLEGE OF SCIENCE

विश्वविद्यालय विज्ञान महाविद्यालय

महाराणा भूपाल केम्पस

MOHANLAL SUKHADIA UNIVERSITY, UDAIPUR – 313 001

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर – 313 001

Prof. B.L. Ahuja
Dean, University College of Science
Chairman, Faculty of Science

Tel Fax.: + 91-294-2423191

Mobile: + 91- 94143 17048

No. UCOS/SS/ 2017/ 145

Dated 31.07.2017

ORDER

A discipline & Anti – ragging committee of the following members is hereby constituted for a session 2017-18 to maintain discipline and prevent ragging in the college campus. The members of a committee are requested to meet regularly and take round in tha campus.

1.	Prof. B.R. Bamniya	Chairman
2.	Prof. B.M.Vyas.	Member
3.	Prof. Sudhish Kumar	Member
4.	Prof. Atul Tyagi	Member
5.	Dr. Jyoti Choudhary	Member
6.	Dr. Rakshwar Purohit	Member
7.	Dr. Nitin Kumar	Member
8.	Dr. Ajit Bhabhor	Member
9.	Dr. Dinesh pandey	Member
10.	Dr. Vijay Koli	Member
11.	Dr. Chetna Ameta	Member
12.	Dr. Neetu Kumari	Member
13.	Dr. Dinesh Yadav	Member
14.	Dr. Joohee Pradhan	Member
15.	Dr. Anuya Verma	Member
16.	Dr. Rohini Trivedi	Member
17.	Dr. Asha Ram Meena	Member
18.	Dr. Deepak Choudhary	Member
19.	Dr. Surendra Singh Chouhan	Member
20.	Dr. Vineet Soni	Member
21.	Dr. P.S.Rajput	Member
22.	Dr. Harish, Proctor	Member
23.	Dr. D.S.Rathore, ADSW	Member

DEAN

Copy to the following for information-

1. The P.S. to Hon'ble V.C. M.L.S.U., Udaipur
2. The Registrar, M.L.S.U., Udaipur
3. The Dean, Student welfare, M.L.S.U., Udaipur
4. The Head, Department of ______________
5. Person concerned

DEAN

संख्या : 429 प्रथम सूचना रिपोर्ट D-10384-87 10-8-15 पुस्तक नम्बर : इ/जी

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर
MOHANLAL SUKHADIA UNIVERSITY : UDAIPUR

NAAC ACCREDITED 'A' GRADE STATE UNIVERSITY

No.F.85./ Gen/MLSU/2017/ 2558 Dated: 02.06.2017

ORDER

The Vice Chancellor is pleased to constitute a Proctorial Board consisting of the following members to maintain decipline in the University and Constitutent Colleges for the academe session 2017-18.

1.	Prof. I.M. Kayamkhani	Chairman
2.	Prof. P.K. Singh (UCCMS)	Member
3.	Prof. S.K. Katariya (UCSSH)	Member
4.	Prof. Sudhish Kumar (COS)	Member
5.	Prof. Atul Tyagi (COS)	Member
6.	Dr. Shilpa Seth (COL)	Member
7.	Dr. Harshada Joshi (COS)	Member
8.	Dr. Vineet Soni (COS)	Member
9.	Dr. Raj Kumar Vyas (UCSSH)	Member
10.	Dr. Shilpa Vardia (UCCMS)	Member
11.	Dr. Sangeeta Athwal (UCSSH)	Member
12.	Dr. Deependra Singh Chouhan (USB)	Member

REGISTRAR

Copy to the following for information and necessary action:-

1. All Deans of Colleges, UCS/ UCCMS/ UCSSH, UCLaw, Udaipur
2. The Dean, PG Studies/ DSW/ Director, F.M.S. / Chairman, University Sports Board/ Chief Warden, University Hostels/ UE,
3. All member concerned.
4. The Comptorllor /Controller of Exams/ Sr. A.O.
5. All Heads of University Departments
6. P.S. to Vice Chancellor /Addl. P.S. to Registrar.
7. Incharge, Internet Centre, Udaipur

DY. REGISTRAR 2/6

Copy to:
1. Associate Dean, UCoS
2. Proctor
3. ADSW
4. Student Section
5. Surya Prakash

5/6/2017

मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर
MOHANLAL SUKHADIA UNIVERSITY : UDAIPUR
NAAC Accredited 'A' Grade State University

No.F.90/Gen/MLSU/2017/ 2868 Dated: 30.8.2017

ORDER

The Vice Chancellor is pleased to constitute a committee consisting of the following members to solve the complaint of the election as per Section 10 of the constitution of Students Union Election for the session 2017-18 .

1.	Prof. M.S. Rathore, DSW	Chairman
2.	Prof. S.K. Kataria	Member
3.	Prof. Hanuman Prasad	Member
4.	Shri Mukesh Barber	Member
5.	Shri Arun Vyas, Advocate	Invitee member
6.	Km. Usha Kanwar, M.A.I III Sem.(Pol.Sc.)	Invitee member
7.	Sh. Sahil Saraswat, B.Sc. III Year.	Invitee member

30/8/2017
REGISTRAR

Copy to :-

1. The Dean, UCS/UCSSH/UCCMS/UCLaw, Udaipur.
2. Members concerned.
3. P.S. to Vice Chancellor.

DY.REGISTRAR

OFFICE OF THE ELECTION OFFICER

कार्यालय : मुख्य चुनाव अधिकारी
मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

F7 /CEO/ELC/2017-18/3447

Date:- 01-09-2017

249

कारण बताओं नोटिस

श्री रोनक गर्ग (NSUI) प्रत्याशी, अध्यक्ष पद छात्रसंघ चुनाव–2017
श्री भवानी शंकर बोरीवाल (ABVP) प्रत्याशी, अध्यक्ष पद छात्रसंघ चुनाव–2017

विषयः– नामांकन दाखिल के दिनांक 30.8.2017 को आचार संहिता के उल्लंघन के संदर्भ में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 30.8.2017 को नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया के तहत आप द्वारा रैली का आयोजन किया गया। जिसकी विडियों रिकोर्डिंग एवं प्रमुख समाचार पत्रों की खबर को संज्ञान लेकर संबंधित थानाधिकारी, भूपालपुरा द्वारा मुख्य चुनाव अधिकारी को शिकायत पत्र प्रेषित किया गया। उक्त पत्र क्रमांक पी.एस. भूपालपुरा/यूडीआर/7058–60 दिनांक 30.8.2017 के संदर्भ में आपको कारण बताओ नोटिस जारी कर यह लेख है कि उपरोक्त संदर्भ में आप अपना स्पष्टीकरण 2.9.2017 सायं 5.00 तक अधोहस्तारकर्ता को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

साथ ही यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि चुनाव प्रक्रिया के किसी भी चरण में अगर आप द्वारा इस प्रकार की गतिविधियों एवं प्रचार–प्रसार के द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन जारी रहा तो आपकी उम्मीदवारी एवं परिणाम के पश्चात पद की दावेदारी छात्रसंघ संविधान के पृष्ठ संख्या 10 के खण्ड–9 में उल्लेखित विभिन्न उप बिन्दुओं के तहत कार्यवाही कर दावेदारी निरस्त कर दी जायेगी। शिकायत निवारण समिति का निर्णय अंतिम और आपको मान्य होगा।

(हस्ताक्षर)

मुख्य चुनाव अधिकारी

प्रतिलिपि : निजी सचिव, माननीय कुलपति, मो.ला.सु.वि.वि. उदयपुर
: मा. कुलसचिव, मो.ला.सु.वि.वि. उदयपुर

कार्यालय : मुख्य चुनाव अधिकारी
मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

F7 /CEO/ELC/2017-18/3453 Date: 02-09-2017

शिकायत निवारण समिति का निर्णय

आज दिनांक 2.9.2017 सायं 4.30 बजे मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में शिकायत निवारण समिति की बैठक आयोजित हुई जिसमें जिला पुलिस प्रशासन द्वारा छात्रसंघ (केन्द्रीय) चुनाव 2017 के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार श्री रोनक गर्ग तथा श्री भवानी शंकर बोरीवाल के विरूद्ध की गई शिकायत के संबंध में सुनवाई की गई।

1. उक्त दोनों प्रत्याशियों के विरूद्ध यह शिकायत है कि इन्होंने दिनांक 30.8.2017 को नामांकन के दौरान शहर में रैली का आयोजन कर छात्रसंघ संविधान 2017 में वर्णित आचार संहिता का उल्लंघन किया है।
2. पुलिस प्रशासन द्वारा उक्त रैली की विडियोग्राफी तथा स्थानीय समाचार पत्रों की कटिंग और साथ में प्रत्याशियों के प्रिन्टेड पर्चे संलग्न कर प्रस्तुत किये गए।
3. मुख्य चुनाव अधिकारी ने दिनांक 31.8.2017 के पत्र के द्वारा दोनों प्रत्याशियों को पुलिस प्रशासन से प्राप्त शिकायती पत्र के क्रम में कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसमें 24 घण्टे का समय दिया गया था।
4. आज दिनांक 2.9.17 को श्री भवानी शंकर बोरीवाल व्यक्तिशः सुनवाई उपस्थित हुए तथा लिखित में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया।
5. श्री रोनक गर्ग ने अपना स्पष्टीकरण श्री गणपत चौधरी एडवोकेट के माध्यम से भेजा तथा लिखित प्रत्युत्तर भी दिया।
6. दोनों ही प्रत्याशियों ने अपने स्पष्टीकरण में यह कहा है कि वे किसी संगठन (ABVP/NSUI) से सम्बद्ध नहीं हैं तथा उन्होंने रैली का आयोजन नहीं किया।
7. समिति ने यह पाया है कि दोनों प्रत्याशियों का स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है।
8. अतः समिति सर्वसम्मति से यह निर्णय करती है कि छात्रसंघ संविधान 2017–18 के खण्ड 10 – j के अनुसरण में प्रत्येक प्रत्याशी पर रूपये 5000/– का आर्थिक दण्ड लगाया जाये तथा यह राशि 24 घण्टे के भीतर छात्र कल्याण अधिष्ठाता कार्यालय में जमा करा के रसीद प्राप्त करें। साथ ही दोनों प्रत्याशी 10/– रू. के नोन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर यह लिखकर देगें कि वे चुनाव परिणाम घोषणा के पश्चात विजय जुलूस/रैली का आयोजन नहीं करेगें तथा आचार संहिता का भविष्य में भी सदैव पालन करेंगे।

निर्णय सुनाया गया।

साहिल सारस्वत 2.9.17

Usha Kanwar उषा कंवर 2.9.17

(Mukesh Barber) 2/9

(Prof. H. Rawat) 2/9/17

(S.K. Kataria) 2.9.17

02.9.17 (अध्यक्ष) (प्रो. ...)

विश्वविद्यालय विधि महाविद्यालय

मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय उदयपुर– 313001

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् द्वारा प्रत्यायित ''ए'' ग्रेड विश्वविद्यालय

प्रो. आनंद पालीवाल
अधिष्ठाता

दिनांक– 09.09.2017

न. फ./लॉ/एडीएसडब्ल्यू/मोलासुवि/2017–18/2530

सेवामें,
श्रीमान् कुलपति महोदय,
मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय,
उदयपुर।

विषय– छात्रसंघ चुनाव वर्ष 2017–2018 सम्बन्धित स्पष्टीकरण

महोदय जी,

उपरोक्त विषय में मैं डॉ. शिल्पा सेठ विधि महाविद्यालय में चुनाव अधिकारी थी एवं प्रो. अतुल त्यागी चुनावी पर्यवेक्षक थे। विधि महाविद्यालय के चुनावो को लेकर अप्रमाणित एवं अपुष्ट बातें कहीं गई है–

1. चुनाव में समस्त विद्यार्थियों को पहचान पत्र फीस रसीद पर सील लगाकर दिये गये एवं बचे हुए पहचान पत्र को भी सीलबन्द अभिमन्यु सिंह राणावत, अन्य विद्यार्थियों की उपस्थित में एवं मुझ शिल्पा सेठ की निगरानी में की गई हैं।
2. यह कि सारी चुनाव प्रकिया सीसीटीवी कैमरे में रिकार्ड की गई है और किसी प्रकार की कोई भी गडबड़ी की शिकायत पोलिंग एजेन्ट द्वारा नहीं की गई जब कि सभी उम्मीदवारों के पोलिंग एजेन्ट मतदान कक्ष में थे साथ ही मतगणना भी सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में की गई है व मतगणना अधिकारी के द्वारा खारीज वोटो की पुर्नगणना भी की गई तथा ललित सिंह सिसोदिया के एजेन्ट ने मतगणना से संतुष्ट होकर मतगणना परिणाम पत्र पर हस्ताक्षर किये थे।
3. इस पूरी चुनाव प्रकिया में अधिष्ठाता ने कोई हस्तक्षेप नही किया और न ही कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

अतः आप द्वारा अग्रेषित आवेदन पत्र में ललित सिंह सिसोदिया द्वारा जो आरोप लगाये गये वह तथ्यहीन एवं सारहीन है जिसका कोई अस्तित्व नहीं है।

RETURNING OFFICER
UNIVERSITY COLLEGE OF LAW
M.L.S.U., UDAIPUR

चुनाव अधिकारी
डॉ. शिल्पा सेठ

प्रतिलिपीः–

1. कुलसचिव, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर।
2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर।

RETURNING OFFICER
UNIVERSITY COLLEGE
M.L.S.U., UDAIPUR

चुनाव अधिकारी
डॉ. शिल्पा सेठ

OFFICE OF THE DEAN STUDENT WELFARE,
MOHANLAL SUKHADIA UNIVERSITY, UDAIPUR

Prof. Madan Singh Rathore
DEAN

F 7 /GEN/DSW/2017 / 3466 **Date -09-09-2017**

माननीय कुलपति महोदय,
मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय,
उदयपुर।

विषयः– शिकायत निवारण समिति की बैठक में लिया गये निर्णय के संदर्भ में।

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रार्थी श्री ललित सिंह सिसोदिया की शिकायत पर आज दिनांक 09.09.17 सांय 4:00 बजे अधिष्ठाता, छात्रकल्याण कार्यालय में चुनाव शिकायत निवारण समिति की बैठक में समिति के सदस्यों के द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार उक्त शिकायतकर्त्ता की शिकायत खारिज की जाती है तथा समिति की बैठक का ब्यौरा संलग्न है।

धन्यवाद

संलग्नः समिति की बैठक का ब्यौरा।

डॉ. मदन सिंह राठौड
अधिष्ठाता,छात्रकल्याण

प्रतिलिपी–

1. कुलसचिव महोदय,मो.ला.सु.वि., उदयपुर।

डॉ. मदन सिंह राठौड
अधिष्ठाता,छात्रकल्याण

221

OFFICE OF THE DEAN STUDENT WELFARE,
MOHANLAL SUKHADIA UNIVERSITY, UDAIPUR

Prof. Madan Singh Rathore
DEAN

F 7 /GEN/DSW/2017 / **Date -09-09-2017**

आज दिनांक 09.09.17 सांय 4:00 बजे अधिष्ठाता, छात्रकल्याण कार्यालय में चुनाव शिकायत निवारण समिति की बैठक आयोजित की गई जो विधि महाविद्यालय के श्री ललित सिंह सिसोदिया की शिकायत के संदर्भ में थी। समिति ने एक राय से यह निणर्य लिया किः–

1. प्रस्तुत शिकायत के साथ किसी प्रकार का साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यह केवल निराधार आरोप प्रतीत होता अतः शिकायत खारिज किये जाने योग्य है।
2. अतिरिक्त चुनाव अधिकारी, विधि महाविद्यालय से प्राप्त पत्र क्रमांक न. फ. /लॉ/एडीएसडब्ल्यू/मोलासुवि/2017–18/2530 दिनांक 09.09.17 से यह स्पष्ट हो रहा है कि श्री ललित सिंह सिसोदिया के चुनाव मतगणना ऐजेन्ट ने दुबारा मतगणना के पश्चात् मतगणना पत्र पर मतगणना परिणाम से सहमत होकर हस्ताक्षर किये थे।
3. विधि महाविद्यालय में सभी विद्यार्थी वयस्क है तथा उन्हें किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में दबावपूर्वक मतदान करने हेतु विवश नहीं किया जा सकता है। और मतदान की प्रकिया पूर्णतया गुप्त रहती है। अतः शिकायतकर्त्ता के द्वारा प्रस्तुत आरोप अस्वीकार्य हैं।
4. अतिरिक्त चुनाव अधिकारी विधि महाविद्यालय द्वारा प्रेषित पत्र के अनुसार सम्पूर्ण चुनाव प्रकिया मतदान से मतगणना सी.सी.टी.वी. कैमरे के सम्मुख सम्पादित हुई है, इसलिए किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है। साथ ही अधिष्ठाता, विधि महाविद्यालय ने सम्पूर्ण प्रक्रिया में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया और न ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है।
5. गेस्ट फेकल्टी के संदर्भ में प्राप्त शिकायत के संदर्भ में अतिरिक्त चुनाव अधिकारी, विधि महाविद्यालय को प्रेषित पत्र F7/CEO/ELC/2017-18/3453 के संदर्भ में अतिरिक्त चुनाव अधिकारी, विधि महाविद्यालय में गेस्ट फेकल्टी पर लगे आरोप को निराधार बताया तथा उनकी कार्यनिष्ठा एवं निष्पक्षता का समर्थन किया। शिकायतकर्त्ता विद्यार्थियों का महाविद्यालय से सम्बन्ध नहीं है। ऐसा सूचित किया है।

अतः उपरोक्त आधारों को ध्यान में रखते हुए शिकायत खारिज की जाती है।

9.9.17 9/9/2017 9/9/2017

Usha Kanwar 9/9/17

डॉ. मदन सिंह राठौड
अधिष्ठाता,छात्रकल्याण

OFFICE OF THE DEAN STUDENT WELFARE,
MOHANLAL SUKHADIA UNIVERSITY, UDAIPUR

Prof. Madan Singh Rathore
DEAN

F 7 /GEN/DSW/2017 / 3487 Date - 27-09-2017

248

सूचना

केन्द्रीय छात्रसंघ अध्यक्ष, श्री भवानी शंकर बोरीवाल के आग्रह पर केन्द्रीय छात्रसंघ के पदाधिकारियों एवं नव निर्वाचित विश्वविद्यालय प्रतिनिधियों की एक बैठक अधिष्ठाता, छात्र कल्याण कार्यालय में दिनांक 03.10.17 को अपरान्ह 3:00 बजे आयोजित की जायेगी । जिसमें केन्द्रीय कार्यकारिणी के गठन व अन्य विषयों पर चर्चा की जायेगी। इस बैठक में केन्द्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

डा. मदन सिंह राठौड़
अधिष्ठाता,
छात्र कल्याण

कार्यालय : मुख्य चुनावअधिकारी
मोहनलालसुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर
फोन न. 0294–2470120

(28)

F7 /CEO/ELC/2018/ **Date:- 27-08-2018**

A meeting of the grievance redressal committee was held on 24th and 27th August 2018 in the office of Dean Students Welfare.

In the beginning, one of the committee members, Shri Pravin Khandelwal, expressed his unwillingness to continue as a member because he was once an advocate of one of the candidates against whom a grievance was received.

Therefore, following were present:

1) Prof. K. Saxena- Prof. Faculty of Management Studies- Convener.
2) Dr. Priyadarshi Nagda-Assistant Professor, University College of Law- Member.
3) Shri Arun Vyas- Legal Advisor, MLSU- Member.
4) Miss. Nisha Sharma Member
5) Miss. Nikita Jain Member

All in all, 3 grievances were received, one each for the posts of President Vice President and General Secretary of Central Students' Union. All the grievance applications were carefully read by the committee. And in 2 of the 3 cases the committee decided to ask the candidates to personally appear before them in order to give them an opportunity to submit any documents they wish to submit in their defense. After carefully going through the legal documents submitted by both the sides and considering different points of law, & upon counsel by the legal experts in the committee, unanimous decisions were taken.

The detailed report in respect of each of the 3 grievance applications received is enclosed herewith.

The meeting ended with vote of thanks to the Convener.

27.8.18 (10.15 AM) Nikita Jain Nisha

27/8

File 27/8/20

कार्यालय : मुख्य चुनावअधिकारी
मोहनलालसुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर
फोन न. 0294–2470120

(3)

F7 /CEO/ELC/2018/ Date:- 27-08-2018

Grievance Redressal Committee Report

A grievance was submitted by Sh.Magraj Singh S/O Sh. Shivdutt Ratnu (Student of LL,B III Year) against the Nomination of Sh. Arvind Singh Chundawat S/O Sh. Ranjeet Singh Chundawat that criminal case no. 579/2017 has been filed against him and as per Lyngdoh committee recommendation, his nomination should be rejected & he should be debarred from contesting election on the post of Vice President of University under Student's Union Election 2018-19.

The committee decided to give an opportunity to Mr Arvind Singh Chundawat to personally appear before the committee & submit any documentary evidence if he would like to submit in his defense, in pursuance of decision of committee he was called upon.

Proceeding of the Hon'ble Court were presented by him before committee which clearly mentions that next date of hearing for the purpose of framing the charge is fixed as on 27-08-2018. As per the constitution of central student's Union of M.L.S.U, Udaipur 2018-19, clause 7 (e) (iv),the charge should have been framed, then only a criminal case will be considered to be under trial. Also it is settled law that commencement of Trial begins after framing of charges.

At this stage i.e on 25th August 2018 no charge has been framed, so far,therefore, the grievance of Mr.Magraj Singh is not held tenable by the committee and consequently disposed off.

1- **Prof. Karunesh Saxena** **Convenor**

2- **Advocate Arun Vyas** **Member**

3- **Dr. Priyadarshi Nagda** **Member**

4- **Miss. Nisha Sharma** **Member**

5- **Miss. Nikita Jain** **Member**

27/8/2018

3

कार्यालय : मुख्य चुनावअधिकारी
मोहनलालसुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर
फोन न. 0294–2470120

F7 /CEO/ELC/2018/ **Date:- 27-08-2018**

Grievance Redressal Committee Report

A grievance was submitted by Ashish Salvi against the candidature of Shri Padam Singh Devda regarding the regularity of the candidate. The committee scrutinised the nomination papers filed by Padma Singh Devda and found that he was a student of diploma in journalism in the academic session 2017-18, which he successfully cleared and there are no academic arrears. And he has been a regular student of MLS University, Udaipur. Therefore the grievance was not found to be tenable and disposed off accordingly.

1- Prof. Karunesh Saxena	Convenor	[signature]
2- Advocate Arun Vyas	Member	[signature]
3- Dr. Priyadarshi Nagda	Member	[signature]
4- Miss. Nisha Sharma	Member	[signature]
5- Miss. Nikita Jain	Member	Nikita Jain

File
27/8/2018

कार्यालय : मुख्य चुनावअधिकारी
मोहनलालसुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर
फोन न. 0294–2470120

(34)

F7 /CEO/ELC/2018/

Date:- 27-08-2018

Grievance Redressal Committee Report

A grievance along with the Documents was submitted by Sh. Sukhadev Dangi S/O Bhagwan Lal Dangi against the Nomination of Sh. Himanshu Bagdi S/O Sh. Keshu Lal Bagdi that various criminal cases have been filed against him, Therefore his nomination should be rejected & he should be debarred from contesting election on the post of President of University under M.L.S.U Student's Union Election 2018-19.

The committee examined the records submitted by Mr.Sukhdev Dangi and decided to give an opportunity to Mr Himanshu Bagdi to personally appear before the committee & submit any documentary evidence if he would like to submit in his defence,in pursuance of decision of committee he was called upon.

As per record submitted by Mr.Himanshu in his nomination papers he has shown five cases filed against him in different courts against him out of which in two cases he was acquitted, in another two cases though he has been convicted he was given benefit of section 4(i) and section 12 of the Probation of offenders Act, 1958. Section 12 clearly states that"Removal of disqualification attaching to conviction.— Notwithstanding anything contained in any other law, a person found guilty of an offence and dealt with under the provisions of section 3 or section 4 shall not suffer disqualification, if any, attaching to a conviction of an offence under such law: Provided that nothing in this section shall apply to a person who, after his release under section 4 is subsequently sentenced for the original offence."According to this, and as per settled law of Hon'ble supreme court of India it Removes all the disqualification attached to any post, and hence Sh. Himanshu cannot be deemed to be a convicted person.

File

As far as offence under section 309 i.p.c is concerned the committee has gone through the order of Hon'ble High Court of Rajasthan dated 13 August, 2018 in which Proceedings in this offence has been quashed. Though in this matter FIR is being filed by Dean, UCCMS, and as per provision of Clause 7 (e) 3 of constitution of Mohan Lal Sukhadia University, Student's Union Election 2018-19,Any person against whom FIR has been lodged by University / College will not be entitled to contest election but when entire proceeding has been quashed by Hon'ble High Court of Rajasthan and FIR is also part of the proceedings then it is deemed to be quashed. So the grievance submitted by Sh. Sukhdev Dangi is not held tenable and rejected by the committee and Mr Himanshu Bagdi is entitled to contest election on the post of university President, and consequently grievance is disposed off.

1- **Prof. Karunesh Saxena**	**Convenor**	
2- **Advocate Arun Vyas**	**Member**	
3- **Dr. Priyadarshi Nagda**	**Member**	
4- **Miss. Nisha Sharma**	**Member**	
5- **Miss. Nikita Jain**	**Member**	

(172)

कार्यालय : मुख्य चुनाव अधिकारी
मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

आज दिनांक 29.08.2018 को सांय 3:00 बजे अधिष्ठाता, छात्र कल्याण कार्यालय में छात्रसंघ चुनाव 2018 के मतदान एवं निर्वाचन संबधि आवश्यक दिशा– निर्देश हेतू एक बैठक का अयोजन किया गया है। जिसमें संघटक महाविद्यालयों के निम्नलिखित सहायक अधिष्ठाता, निर्वाचन अधिकारी एवं प्रॉक्टर उपस्थिति हुवें।

क्र.स.	नाम	पद	हस्ताक्षर
1.	S. K. Kataria	Prof.	[signature]
2.	SANJAY LODHA	Prof.	[signature]
3.	D. S. Rathore	ASST. PROF.	[signature]
4.	Harish	"	[signature]
5.	आशीष सिसोदिया	Asstt. Prof.	[signature]
6.	Dr. Rajshree Choudhary	Asstt. Prof.	[signature]
7.	Dr. Sangeeta Athwal	Assitant Prof.	[signature]
8.	Dr. Shilpa Seth	ADSW VCL.	[signature]
9.	Dr. Mukesh Mathur	Proctor UCCMS	[signature]
10.	Dr C M Jain	ADSW	[signature]
11.	Sadhana Kothari	Dean	[signature]
12.	Dr Harsh Bhu	Prof.	[signature]
13.	Dr. M. L. Nagar	Prof.	[signature]
14.	G Soral	Dean	[signature]
15.	BL Ahuja	Dean	[signature]

16. CR Suthar — Chief Proctor — [signature]

17. B.L. VERMA — [signature]

126

बैठक कार्यवृत्त

दिनांक 29.8.2018 को सायं 3.00 बजे अधिष्ठाता, छात्र कल्याण कार्यालय में छात्रसंघ चुनाव 2018 के मतदान एवं मतगणना संबंधित आवश्यक दिशा–निर्देश हेतु एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें संघटक महाविद्यालयों के अधिष्ठाता, सहायक अधिष्ठाता, निर्वाचन अधिकारी एवं प्रोक्टर उपस्थित हुए। बैठक में मा. कुलपति, कुलसचिव महोदय, विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर एवं चुनाव की केन्द्रीय समिति के पदाधिकारियों द्वारा चुनाव संबंधित निम्नांकित दिशा–निर्देशों पर चर्चा की गई एवं समस्त सदन द्वारा एक मत से स्वीकार किया गया।

1. महाविद्यालय के चुनाव अधिकारी वि.वि.के भू–सम्पत्ति अधिकारी से सम्पर्क कर प्रचार सामग्री हेतु डिस्पले बोर्ड एवं बेरिकेडिगं की व्यवस्था शीघ्रातिशीघ्र सुनिश्चित करावें।
2. मतदान के दिन महाविद्यालय में निर्धारित (मतदान प्रारम्भ होने से एक घण्टे पूर्व) समय पर पहुंचे।
3. केवल नियमित कर्मचारियों (स्थाई एवं स्ववित्त पोषित कार्मिकों) को ही चुनाव ड्यूटी में लगाया जाये।
4. किसी भी शोधार्थी अथवा एम.फिल छात्र को मतदान केन्द्र पर ड्यूटी पर न लगायें।
5. मतदान / मतगणना दिवस पर महाविद्यालय अधिष्ठाता के अतिरिक्त किसी भी कर्मचारी के पास मोबाईल फोन होना वर्जित है।
6. चुनाव ड्यूटी पर उपस्थित होने वाले सभी कर्मचारी वि.वि. एवं चुनाव कार्यालय द्वारा जारी परिचय–पत्र आवश्यक रूप से पहन कर आवें।
7. सभी कर्मचारी अपने–अपने निर्धारित ड्यूटी स्थल पर कार्य पूर्ण होने तक उपस्थित रहें।
8. चुनाव डयूटी पर कर्मचारी किसी भी प्रत्याशी से अनावश्यक बात न करें।
9. सभी चुनाव अधिकारी महाविद्यालय परिसर के अंदर एवं बाहर लिंगदोह समिति, मा. न्यायालय एवं राज्य सरकार द्वारा एवं छात्रसंघ संविधान 2018–2019 में जारी समस्त दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।
10. महाविद्यालय के प्रवेश द्वार पर प्रवेश करने वाले <u>प्रत्येक</u> छात्र की विडियोग्रफी महाविद्यलय अपने स्तर पर सुनिश्चित करावें।
11. प्रत्येक महाविद्यालय सामान्य अनुशासन के लिए महाविद्यालय परिसर की विडियोग्राफी भी सुनिश्चित करें। इसके लिए अलग से विडियोंग्राफी की व्यवस्था की जाए।
12. स्नातक एवंम स्नातकोत्तर कक्षाओं के किसी भी वोटर को बिना परिचय पत्र के मतदान केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी। वर्तमान सत्र में प्रवेशित शोधार्थियों के लिए भी परिचय पत्र आवश्यक होंगें। पुराने शोधार्थियों के लिए संबंधित सत्र में जारी परिचय पत्र एवं वर्तमान सत्र की फीस की रसीद देखकर ही प्रवेश दिया जा सकेगा। फीस रसीद की जांच हेतु अलग से कर्मचारी की ड्यूटी लगायें।
13. केन्द्रीय छात्रसंघ के प्रत्याशियों के एजेन्ट्स को एक केन्द्र पर ही सीमित रखें तथा उन्हें विभिन्न महाविद्यालयों में घूमने की अनुमति नहीं होगी।

14. यह सुनिश्चित करें कि विश्वविद्यालय प्रतिनिधि प्रत्याशी किसी एक बूथ पर लम्बे समय तक न बैठें। कोई भी प्रत्याशी मतदाता से बात न करें।
15. मतदान हेतु बनाये गये विभिन्न मतदान कक्षों के संबंधित चुनाव अधिकारी मतदान प्रारम्भ होने से पहले यह सुनिश्चित करे लें कि प्राप्त किये गये मतपत्र सही दशा में है। कटे–फटे होने पर तुरन्त सक्षम अधिकारी द्वारा उन्हें बदल कर सही मतपत्र प्राप्त कर लें। मतपत्र का हिसाब सही–सही पूरा करावें।
16. विभिन्न मतदान कक्षों के संबंधित अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कोई भी मतदाता मतपत्रों को किसी भी प्रकार से क्षति न पहुंचावें।
17. समस्त मतपत्र मतदान कक्ष के चुनाव अधिकारी द्वारा मतपत्र के पीछे क्रास हस्ताक्षर से ही जारी होगें। हस्ताक्षर के स्थान पर किसी भी तरह की सील का प्रयोग न करें।
18. सक्षम निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि मतदान के लिए प्रयोग मे ली जाने वाली सील Anti-clockwise है।
19. मतदान हेतु निर्धारित स्थान के बारे में सुनिश्चित कर लें कि कहीं सीसी टीवी कैमरे अथवा अन्य किसी कारण से मतदान की गोपनीयता भंग तो नहीं हो रही है।
20. **मतदाताओं के बाये हाथ की तर्जनी अंगुली पर ही अमिट स्याही लगाये। किसी अन्य अंगुली पर स्याही का प्रयोग न करें।**
21. सक्षम अधिकारी प्रति घण्टे मतदान की स्थिति का विवरण छात्र कल्याण अधिष्ठाता कार्यालय को आवश्यक रूप से देवें।
22. सक्षम अधिकारी 1.00 बजे महाविद्यालय परिसर में लाईन लगे समस्त मतदाताओं को महाविद्यालय परिसर मुख्य द्वार के अंदर लेकर मुख्य द्वार बन्द कर दें।
23. समस्त चुनाव अधिकारी मतदान कक्ष के मतपत्रों को जारी करने का हिसाब किताब सुनिश्चित करें। प्रत्येक मतदान कक्ष पर जारी किये गये मतपत्रों की क्रम संख्या, जारी किये गये एवं शेष बचें हुए मतपत्रों का विवरण मतदान समाप्ति के पश्चात अधिष्ठाता, छात्र कल्याण कार्यालय मे अतिआवश्यक रूप से जमा करावें।
24. मतदान समाप्ति के पश्चात मतपेटियों को छात्र कल्याण अधिष्ठाता कार्यालय द्वारा दिये गये नये कपड़े के थेले में पेकिंग कर (सील सहित) आप द्वारा हस्ताक्षरित समस्त विवरण के साथ अपने कार्यालय में सुरक्षित रखवावे।
25. मतदान समाप्ति के पश्चात वि.वि. स्तर पर गठित समिति केन्द्रीय एवं महाविद्यालय छात्र कार्यकारिणी के प्रत्याशियों के समस्त मतपेटियों का संकलन करेगी। जब तक कमेटी द्वारा संकलन ना हो तब तक उन्हें सुरक्षित रखने की पुख्ता व्यवस्था करावें।
26. मतपेटियों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था वि.वि.प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की गई है।
27. महाविद्यालय से संबंधित एवं विश्वविद्यालय प्रतिनिधि की सभी मतपेटियों की चाबियां सीलबद्व लिफाफो में महाविद्यालय अपने स्तर पर सुरक्षित रखवायें।
28. केन्द्रीय छात्रसंघ एवं शोध प्रतिनिधि की मतपेटियों की चाबियों को सीलबद्व लिफाफों में बंद कर समस्त विवरण लिखकर केन्द्रीय संकलन समिति को सौप दें।

29. सभी मतपेटियों की पेकिंग एवं सील एक जैसी हो यह सुनिश्चित करें। मतपेटी पर अंदर स्टीकर पर समस्त सूचनाएं अंकित करें। थैले पर बाहर मार्कर पेन से बूथ नं. एवं केन्द्रीय/महाविद्यालय छात्रसंघ लिख दें।
30. 11 सितम्बर 2018 को मतगणना दल प्रातः 9.00 बजे संबंधित महाविद्यालयों में तैयार रहें। संबंधित चुनाव अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि 11.00 बजे मतगणना प्रारम्भ हो जाए।
31. मतदान के पश्चात् अन्य सामग्री के साथ ब्रास सील एवं बची हुई अमिट स्याही अधिष्ठाता, छात्र कल्याण कार्यालय में जमा करावें।
32. दिनांक 30.8.2018 को बचे हुए छात्र प्रवेश पत्र अधिष्ठाता, छात्र कल्याण कार्यालय में सांय 3:30 बजे तक जमा करा दें।

बैठक में मतगणना से संबधित अतिरिक्त दिशा–निर्देशों पर भी चर्चा की गई जो अनुलग्नक एक (1)में संलग्न है।

मुख्य चुनाव अधिकारी

Annexure 1

(123)

कार्यालय : मुख्य चुनाव अधिकारी
मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

RULES AND REGULATIONS REGARDING VOTING & COUNTING PROCEDURES.

1. No candidate / agent will be allowed to enter the counting premises (FMS) after 10.00 am on 11th September 2018.
2. Results will be declared only after the signature of candidates and counting team.
3. Mobile phones are not allowed in the premises of FMS and counting place of respective college.
4. NOTA will be applicable.
5. Seal should be imposed on the back of rejected vote and proper reason should be ticked.
6. Voting & counting agents should not have anything by which they can damage the vote.
7. All the ADSW etc. are advised that if seal imposed is anticlockwise and its another impression is clockwise then it will be counted as valid votes.
8. Ballot paper with seal at the back side will be counted as valid vote if the voter has cast valid vote on the front side.
9. Signature of all the counting members and agents are must on result sheet.
10. At college if central union votes are wrongly put in the ballot box of college union then seal it properly and send to the FMS (the counting place) immediately before counting starts. Similarly before declaration of college result it may be ensured that all votes wrongly put in central union ballot boxes have been received and counted.
11. A separate meeting of the counting team will be held to discuss the counting rules / valid votes.
12. Check all CCTV cameras are working properly and ensure that posters & pamphlets or any publicity material is not displayed in the premises.
13. Only conveners will communicate with agents and only he will be the deciding authority.
14. Either candidate or agent, only one of the two will be allowed to sit during the counting.

30/8/2018

कार्यालय : मुख्य चुनाव अधिकारी
मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर

15. No person or member of the counting team will be allowed to go out of the premises before completion of counting for all the posts.
16. Any one who brings the Mobile phone by mistake in the premises where counting is to take place he/she should have to submit it to the person nominated by the Chief Proctor and Mobiles will be returned back only after the declaration of all the results.
17. Chief Proctorial Board will remain present at FMS and maintain the discipline.
18. All the members of the counting team should have to reach at FMS latest by 9.30 am.
19. After the counting no one will be allowed to move into other rooms except the common room.
20. Strictly follow the counting rules of the Election Commission of India.
21. The entire process of opening the sealed ballot boxes should be conducted before the candidates / their agents. Signatures of agents / candidates must be taken on the format no. 207.
22. Agents will not be allowed to leave the counting premises till declaration of the results.
23. Media/Press will be allowed only once during counting at the initial stage and will enter from the agent/candidates' side.
24. Ensure availability of concerned staff to receive ballot papers on 30-8-2018
25. Empty ballot boxes will be redistributed by DSW office on 12-9-2018.

Chief Election Officer

कार्यालय : मुख्य चुनाव अधिकारी
मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर
फोन न. 0294–2470120

62

F7 /CEO/ELC/2019/

Date: - 22-8-2019

Grievance Redressal Committee Report

A grievance was submitted by Gopal Lohar (Mob. No.8058955163, Father's Name and Class is not mentioned), against the nomination of Ms. Dimpal Bhavsar D/o Sh. Suresh Kumar Bhavsar. It is mentioned that Ms. Dimpal Bhavsar is a student of UG course and hence not eligible under clause 6 of Constitution of Unviversity & College Students' Union Election 2019-20. The committee has gone through the constitution and found that on Page No.3.II Note (iii) following is clearly mentioned, **"The student enrolled in three year LLB course (Traditional)/Post Graduate course shall be eligible to contest for any post of the student union".**

The committee also examined the form submitted by Ms. Dimpal Bhavsar for the post of General Secretary, Central Students' Union, MLSU and found that she is a student of LLB Traditional course II year and as per the above provision of the constitution, Ms. Dimpal Bhavsar is entitled to contest election on the post of General Secretary and consequently the grievance is disposed off.

1. Prof. C.R.Suthar — Convenor [signature] 22.8.2019
2. Prof. Karunesh Saxena — Co-Convenor [signature]
3. Prof. K.B.Joshi — Member [signature] 22-8-19
4. Dr. Arun Vyas — Member could not attend the meeting
5. Dr. Amit Kumar Gupta — Member [signature]
6. Mr. Kanishak — Member [signature]

कार्यालय : मुख्य चुनाव अधिकारी
मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर
फोन न. 0294–2470120

F7 /CEO/ELC/2019/

Date:- 22-8-2019

Grievance Redressal Committee Report

A grievance was submitted by Gaurav Bhimawat, Research Scholar, Deptt. of English, MLSU, which was of general nature and not against any specific contesting candidate. Moreover, the complainant has no locus standi as he is not contesting election on any of the post including that of Research Representative. Due to the vagueness and his status as non-contesting candidate, the grievance was not found to be tenable and disposed off accordingly.

1. Prof. C.R.Suthar	Convenor	[signature] 22.8.2019
2. Prof. Karunesh Saxena	Co-Convenor	[signature]
3. Prof. K.B.Joshi	Member	[signature] 22-8-19
4. Dr. Arun Vyas	Member	could not attend the meeting
5. Dr. Amit Kumar Gupta	Member	Gupta
6. Mr. Kanishak	Member	[signature]

कार्यालय : मुख्य चुनाव अधिकारी
मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर
फोन न. 0294–2470120

F7 /CEO/ELC/2022/ Date: 21-8-2022

Minutes of Meeting

A meeting of advisory board was held on 21/8/2022 to resolve the issue relating to research scholars that whether a research scholar is entitled to cast vote for college union or not. It was unanimously decided in the meeting of the advisory held on 19.08.2022 that research scholars are entitled to caste vote only for central union posts and research representative. They are not entitled to caste vote for college union. After spreading this decision memorandums were received students against this decsion. Students pointed out that in previous years such right was given to students.

Keeping the past practices in mind, the issue was again discussed with HVC and University Lawyer Sh. Arun Vyas. Thereupon Mr. Vyas gave his legal opinion in writing annexed herewith. Thereafter, Prof P. K. Singh, Prof. Anand Paliwal, Prof. C. P. Jain, Prof. C. R. Suthar, Prof. Manju Baghmar have also given their consent on this issue on cell phone in the morning of August 21, 2022.

Therefore now this is resolved that "A research scholar who is entitled to cast vote for research representative shall also be eligible to cast vote for central union as well as college union. However, the research scholar shall not be entitled to cast vote for class representatives and university representatives."

21/8/22

21/8/2022

कार्यालय : मुख्य चुनाव अधिकारी
मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर
फोन न. 0294–2470120

(2)

F7 /CEO/ELC/2022/ 965

Date: 19-8-2022

बैठक कार्यवृत

अधिष्ठाता, छात्र कल्याण कार्यालय

आज दिनांक 19.08.2022 को दोपहर 02:00 अधिष्ठाता, छात्र कल्याण कार्यालय में मुख्य चुनाव अधिकारी, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रो. शूरवीर सिंह भाणावत, अधिष्ठाता, छात्रकल्याण, प्रो. पी. के. सिंह, अधिष्ठातागण, प्रो. सी. आर. सुथार, प्रो. आनंद पालीवाल, प्रो. सी. पी जैन, प्रो. मंजु बाघमार, प्रो. प्रदीप त्रिखा, प्रो. मीरा माथुर एवं विश्वविद्यालय अधिवक्ता श्रीमान अरूण व्यास आदि बैठक मे उपस्थित हुए जिसमें निम्न बिन्दुओं पर चर्चा हुई –

1. विश्वविद्यालय के सभी संघठक महाविद्यालयों के शोध प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय प्रतिनिधि, विश्वविद्यालय केन्द्रीय छात्रसंघ के सभी पदों के लिए मतदान कर सकेगें।
2. शोध प्रतिनिधि संबंधित महाविद्यालय छात्रसंघ के पदों हेतु मतदान नहीं कर सकेगें।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद ज्ञापित कर समाप्त हुई।

[signature] 19/08
मुख्य चुनाव अधिकारी

[signature] 19.8.22

[signature] 19/8/22

[signature] 19.8.22 (Pradeep Trikha)

Meera Mathur 19/8/22

[signature] 19/8/22

[signature] 19/8/22 (Suthar)

[signature] Advocate

[signature] 19/8/2022 (PK Singh)

Mohanlal Sukhadia University, Udaipur (Raj.)

GENDER EQUITY POLICY

Prof. Pradeep Trikha
Director IQAC
Department of English
MLSU, Udaipur

INDEX

S. No	Particulars	Page No.
1	Foreword	**3**
2	Introduction	**4**
3	Gender Equity and Gender: Definitions	**4**
4	Rationale	**5**
5	Goals and Objectives	**6**
6	Educational Principles and Values	**7**
7	Policy Statements	**7**
9	Curriculum Development and Learning Environment	**8**
10	Breaches of the Policy	**8**
11	Conclusion	**9**
12	Annexure I: UGC Centre for Women's Studies	**10**
13	Annexure II: Internal Complaints Committee	**11**

:

Prof. Pradeep Trikha
Director IQAC
Department of English
MLSU, Udaipur

FOREWORD

Mohanlal Sukhadia University (erstwhile Udaipur University) at Udaipur is a State University established by an Act in the year 1962 to cater for the needs of higher education in Southern Rajasthan with more than 2.25 Lakh Students. The University is located in Aravalli Hill Area largely dominated by tribal populations. Endowed with rich cultural heritage, natural resources and beautiful landscape, Udaipur is a world-renowned tourist attraction.

Mohanlal Sukhadia University, Udaipur is conscious of the importance of gender as a key component of the strategic objectives of the University.

Higher education campuses have a special role in promoting gender equity between women and men. Gender-responsive activities under a university-wide gender program include gender sensitization along with addressal of any imbalances among students and staff in terms of student enrolment, employment, and retention. This policy is an outcome of the belief of the stakeholders to recognize gender concerns as an important issue on the development agenda at national, regional and international levels. The success of the gender policy is the responsibility of all people at the policy, decision making and implementation levels of Mohanlal Sukhadia University. These include the academic leaders and policymakers, working at various units of the university.

Higher education institutions are also responsible for ensuring that what is taught and learned contributes in a positive way to the lives of both boys and girls. A university should ensure that students, female, and male, have equal access to the knowledge and skills that are imparted on the campuses. The stakeholders in the higher education system must ensure equal participation of all students in classrooms, thus achieving the vision of a gender equity campus. This gender equity in campus (GEC) policy provides a framework of principles and practices that will improve the opportunities of all students regardless of their gender. The education system has the responsibility to provide high-quality equitable education that meets the needs of all genders. The gender equity Policy has been developed to ensure that students are not discriminated against based on their gender.

Gender equality and equity is at the center of Mohanlal Sukhadia University's objectives and functions. It aims at ensuring both women and men (staff and students) are considered equal and treated equally in terms of dignity and rights.

Mohanlal Sukhadia University fraternity is striving towards non-discrimination of any kind based on gender differentiation or any other factor like caste, race, nationality etc. The gender policy provides guidelines and frameworks for the creation of a gender-just environment of learning.

Prof. Pradeep Trikha
Director IQAC
Department of English
MLSU, Udaipur

INTRODUCTION

The Constitution of India embodies the government's commitment to equality for both women and men within family, community and society. It supports the idea of human development, which encourages every person to be dynamically involved in the process of liberating himself or herself from every form of domination and oppression so that each man or woman will have the opportunity to develop as a whole person in relation to others. The Government of India also subscribes to and has endorsed a range of international Conventions such as the United Nations Declaration of Human Rights (1962), the United Nations Convention on the Rights of the Child (1989), and Education for All (United Nations Declaration 1990) and the Beijing Declaration (1995) which called for the mainstreaming of gender issues. Hence, it is imperative that the essence and spirit of these declarations become part of day-to-day life, particularly in the educational system.

Gender equity refers to fairness and justice in the distribution of benefits and responsibilities between women and men. The concept recognizes that women and men have different needs and that these differences should be identified and addressed in a manner that rectifies the imbalance between the sexes.

Equity is not maintained where there is discrimination. Discrimination involves treating the genders differently in ways that suggest that one is inherently inferior to the other. Being treated differently in areas of learning and related activities can and does affect the distribution of political, economic and social benefits and influence. Equality is different from equity. Equality means every person receiving the same treatment regardless of who or where he or she may be. Equity is the means and the goal.

GENDER EQUITY AND GENDER: DEFINITIONS

'Gender' in this policy refers to that behaviour and attitudes which are culturally accepted as appropriate ways of being a woman (femininity) and ways of being a man (masculinity). The sex of a person is biologically determined, whereas ways of being a man or woman are learned, they are a social construct– they are constructed, reinforced, maintained, and reconstructed over time through social and cultural practices. Such social prescriptions of gender and gender behaviour vary across cultures, social classes, and time.

'Equity' means fairness and without bias. In our daily lives, fairness exists when persons who have made the largest contributions receive relatively large rewards, those who have made small contributions receive small rewards, and so on. In the social context, equity also involves conscience or principles of natural justice. This can result in people being given different if it is considered fair or just. Therefore, some people may be recognized as more deserving than others. The bias on which preferential treatment is made is important in judging whether a case is just or unjust. It can vary according to basic beliefs or political persuasion.

Prof. Pradeep Trikha
Director IQAC
Department of English
MLSU, Udaipur

The University Gender Policy attempts to redress the historical gender imbalances that have placed 'women' in a disadvantaged position in accessing, benefiting and getting fair treatment as the users and producers of knowledge. Challenges to self-actualize based on gender differentiation have to be continually addressed and consistent with national and international policies on development.

RATIONALE

The Sustainable Development Goals (SDGs), also known as the Global Goals, were adopted by the United Nations in 2015 as a universal call to action to end poverty, protect the planet, and ensure that by 2030 all people enjoy peace and prosperity. The 17 SDGs are integrated, and SDG 5 specifically focuses on gender equality.

Equality between men and women is an integral part of human rights and a fundamental criterion for democracy. Equality is a necessary foundation for a peaceful, prosperous, and sustainable world.

Mohanlal Sukhadia University as a higher education institution has a key role in contributing to a socially just society. This can be achieved by ensuring equal and fair access to, participation in and outcomes from the education provided for its faculty and staff members as well as for female and male students.

In order that all citizens to have an equal opportunity to participate in and benefit from the development of the country, men's and women's aspirations, achievements and life choices must not be constrained by gender. Understanding gender equity in education enables students and educators to recognize and remedy the constraints and inequalities that may result from not understanding constructions of gender. The Gender Equity in Campus Policy aims to develop every individual to her or his full potential.

The policy document is a result of Mohanlal Sukhadia University's intent to establish an environment which addresses gender equity and defines the University's vision of woman's development along with a framework of broad policy commitments and guidelines. The national imperative for women's empowerment, gender-neutral workspaces and the government's commitment to equal employment opportunity coupled with University's mission, is guiding this policy.

Gender discrimination has long created a culture of exclusion of women and the absence of women in higher leadership as well as accessing higher education. The women who make it to the University therefore should not be confronted with gender unfriendly learning and working environment. Measure to address gender inequality cannot take place in a vacuum and need participation from all stakeholders in higher education institutions. The various forms of gender-based violence, which can hinder effective participation in learning and working of any member based on gender also need to identify and corrected with due protocol.

Therefore, the scope of the policy has been designed to encourage all members of society across gender to contribute equally to the University's organizational culture as per cadre, qualifications, and status.

Prof. Pradeep Trikha
Director IQAC
Department of English
MLSU, Udaipur

SCOPE OF THE POLICY (For Employees)

The Workplace Gender Equality and Diversity Policy applies to Mohanlal Sukhadia University job applicants and to all employees whether full-time or part-time, temporary or permanent and wherever they are located within Mohanlal Sukhadia University's offices.
It covers:
a. Recruitment, selection, and promotion
b. Terms and conditions of employment
c. Professional development
d. Flexible working options
e. Safe working environment
f. Leadership, management, and accountability
g. Grievances, disciplinary action, and termination of employment.

SCOPE OF THE POLICY (For Students)
The Gender Equality and Diversity Policy applies to Mohanlal Sukhadia University students and research scholars whether full-time or part-time and wherever they are located within Mohanlal Sukhadia University's offices.

a. Safe working environment
b. Equal opportunities for students
c. Grievances, disciplinary action,

GOALS AND OBJECTIVES

Mohanlal Sukhadia University promotes an organizational culture which highly values equity and inclusiveness and believes strongly in social responsibility and transformation. The University strives to provide a vibrant and inclusive intellectual community, including a safe and supportive working and learning environment for people of all genders. To realize these objectives, the University implements a range of measures to prevent gender-based discrimination and adopts flexible provisions for employees.

The University is dedicated to improving and promoting gender equality and diversity in the workplace through improving recruitment and retention practices to encourage a high-quality workforce thoughtful of the gender diversity and promoting gender inclusive and sharing decision making.

EDUCATIONAL PRINCIPLES AND VALUES

The higher education system in India encourages, supports and promotes the following values and principles as being essential to the development and implementation of quality curriculum and educational experiences for male and female students.

PRINCIPLES

- All students can achieve their full potential; being either male or females does not determine the capacity to learn.
- Equality of opportunity and outcomes in higher education for female and male students may require that girls and boys get some preferential treatment at least for a period.

Prof. Pradeep Trikha
Director IQAC
Department of English
MLSU, Udaipur

- Strategies to improve the quality of education for female students should be based on an understanding that neither men nor women are the same individually or as a group, having different needs and coming from different socio-economic and cultural backgrounds.

VALUES

- Both female and male students should value each other and be valued equally in all aspects of Campus life.
- High quality education for female students as well as for male students is a professional responsibility for all the faculty members, support staff and others involved with academics
- Campus life for girls and boys should reflect the entitlements of all women to personal respect and personal safety, economic security, and participation in and influence over decisions making which affect their lives.

GENERAL POLICY STATEMENTS

Policy Statements

The management arrangement for implementing the Gender Policy includes:

i. Defining the role and position of major stakeholders within the community in relation to the Gender Policy.

ii. Establishing a framework for coordinating, monitoring, and evaluating the implementation of the policy.

iii. Reviewing and setting up an enabling legislative and institutional arrangement.

MOHANLAL SUKHADIA UNIVERSITY will:

- Promote a working environment where all employees are treated with respect and dignity. • Ensure that no-one is disadvantaged by conditions or requirements which cannot be
- shown to be relevant to performance.
- Challenge discriminatory behaviour or attitudes wherever they occur.
- Respond swiftly and sensitively to any incidences of discrimination.
- Provide any reasonable adjustments for people with disabilities to ensure they have access.
- to our services and employment.
- Ensure that employees' religion or beliefs and related observances are respected and accommodated wherever possible where the expression of those beliefs does not impinge on the legitimate rights of others.
- Ensure that we take account of the needs of our employees' pregnancy or maternity.
- Celebrate a diverse workforce to ensure fair treatment.

Prof. Pradeep Trikha
Director IQAC
Department of English
MLSU, Udaipur

CURRICULLAM DEVELOPMENT AND LEARNING ENVIRONMENT

The Gender Equity Policy in campus is expected to result in:

- Provision of a curriculum which, in content, language and methodology meets the educational needs of students of both genders
- Acknowledges and respects positive cultural values and individual differences of genders.
- Provision of a curriculum which challenges unfair cultural practices and recognizes the contribution of women to society
- Encouragement in the development of the correct attitude, conduct and behaviour in all students which focuses on social responsibility, empathy, and sensitiveness, equal and non-abusive relationships.
- Provision of a challenging learning environment which is socially and culturally supportive and physically comfortable for students of both sexes
- Preparing all students to understand their rights to personal respect and safety and provision of an environment that is safe and free from all forms of harassment and violence.
- Provision of learning skills and support facilities in the campus to ensure that the capabilities of all students are fully and equally realized.
- Making effective changes and lasting improvements on the campus whereby there is a high degree of awareness, understanding and acceptance of the educational needs of girl students by involving all the stakeholders i.e., students, parents, faculty, support staff and the management

BREACHES OF THIS POLICY

Staff should use the grievance procedure to make a formal complaint in writing regarding any instance of harassment or discrimination. More information regarding options, and support for employees who feel they are being harassed, can be found in the POSH Policy.
Serious breaches of the Workplace Gender Equality and Diversity Policy will constitute gross misconduct and give rise to serious action and dismissal of employee.

Anyone found guilty will be dealt with according to the disciplinary procedures. BU is committed to protecting from retaliation those staff members who report what they reasonably and in good faith believe to be any instance of harassment or discrimination under the terms of this policy.

“Retaliation” or “victimization” means any direct or indirect action that might be recommended, threatened, or taken to the detriment of an employee who engaged in reporting misconduct or who is suspected of doing so. Retaliation against a person reporting breaches of this policy will lead to disciplinary proceedings up to and including dismissal.

Prof. Pradeep Trikha
Director IQAC
Department of English
MLSU, Udaipur

CONCLUSION

The principles, strategies and institutional arrangements outlined in this Gender policy represent the pursuit of the recognition of the equality of all persons by the Constitution of India and the respect of the human rights provided for in the Universal Declaration of Human Rights that all institutions provide equal opportunity for both men and women citizens. The successful implementation of these policy objectives will depend on the concerted and determined collective effort, willingness, and accountability by all stakeholders within the University.

To note the progress and monitor impact of the gender policy, Mohanlal Sukhadia University will periodically assess the percentage of female employment and female student community to move toward reaching an optimum level of participation from diverse members of the community and create a gender balance higher education environment.

Approved

Prof. I.V. Trivedi
Vice Chancellor

अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रकोष्ठ
मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय : उदयपुर

Dated : 20-07-2023

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के सौजन्य से स्थापित एवं निर्धारित दिशा–निर्देशों एवं मार्गदर्शन के अनुसार यह प्रकोष्ठ अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों एवं विश्वविद्यालय में कार्यरत इन वर्गो के कर्मचारियों के कल्याण हेतु कार्य कर रहा है। प्रकोष्ठ की स्थापना विश्वविद्यालय आदेश क्रमांक F./ MLSU/Estt.II/ 95/ 3143-47 dated 21-08-1995 द्वारा की गयी। **प्रकोष्ठ में वर्ष 1995 से वर्तमान तक प्रो. एल.सी. खत्री, प्रो. हनुमान प्रसाद एवं प्रो. पी.एम. यादव द्वारा समन्वयक, अजा/जजा प्रकोष्ठ के रूप में कार्यरत रहे।**

प्रकोष्ठ द्वारा गठित स्टेन्डिग कमेटी के सदस्यों द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों के प्रवेश में आरक्षण, छात्रावास में प्रवेश, छात्रवृत्ति आदि हेतु महाविद्यालयों में जाकर आरक्षण प्रावधानों को लागू करने की सुनिश्चितता तय की जाती है। इन वर्गों के शिक्षकों/ कर्मचारियों/ विद्यार्थियों की छात्रावास, छात्रवृत्ति आदि से सम्बन्धित समस्याओं के सम्बन्ध में समय–समय पर सम्बन्धित विभाग से प्रकोष्ठ के समन्वयक द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष पर सम्पर्क कर उनकी समस्याओं का निराकरण किया गया है। साथ ही प्रकोष्ठ द्वारा इन वर्गो के कर्मचारियों की नियुक्ति/ पदोन्नति में आरक्षण प्रावधान लागु किये जाने हेतु तत्पर रहता है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति प्रकोष्ठ द्वारा इन वर्गो के प्रतिभावान छात्रों के सम्मान हेतु वर्तमान तक चार बार सम्मान समारोह क्रमशः दिनांक 04.01.2006, 24.02.2007, 28.04.2013, एवं 14.04.2017 को आयोजित किये गये।

प्रकोष्ठ में वर्तमान में निम्नलिखित सदस्य कार्यरत हैं :–

1. प्रो. पी.एम. यादव, समन्वयक, विसाविमाम
2. श्री मुकेश कुमार बारबर, उप–कुलसचिव
3. श्री उँकारलाल डोंगी, वरिष्ठ सहायक
4. श्री सोहनलाल गमेती, सहायक कर्मचारी

(प्रो. पी.एम. यादव)
समन्वयक
अजा/जजा प्रकोष्ठ
मोलासुवि, उदयपुर

COORDINATOR
S.C./S.T. CELL
M.L.S.U., UDAIPUR

MINORITY CELL

Kalpana Jain
Convener

MOHANLAL SUKHADIA UNIVERSITY, UDAIPUR

Date: 19-7-2023

To
The Director
Internal Quality Assurance Cell (IQAC)
Mohanlal Sukhadia University
Udaipur- Rajasthan

Dear Sir

It is to inform you that **no grievances has been received yet in minority cell.** Many of the university students from minority category are getting fellowships/ scholarships from the government.

Yours Sincerely

(Kalpana Jain)